



## ईसीजीसी लिमिटेड

ईसीजीसी लिमिटेड की स्थापना भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में, निर्यातों के लिए ऋण बीमा तथा संबन्धित सेवाएँ प्रदान करते हुए देश से किए जाने वाले निर्यातों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1957 में की गयी थी। विगत कई वर्षों में इसने भारतीय निर्यातकों व वाणिज्यिक बैंकों की आवश्यकताओं के अनुरूप कई निर्यात ऋण उत्पाद विकसित किए हैं।

ईसीजीसी मूल रूप से एक निर्यात संवर्धन संगठन है जो भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने के लिए उन्हें बीमा रक्षाएं प्रदान करते हुए निरंतर प्रयासरत है। निगम ने बैंकों की आवश्यकताओं को देखते हुए विभिन्न निर्यात ऋण बीमा योजनाएँ आरंभ की हैं। ये बीमा रक्षाएं, निर्यातकों को समय पर व पर्याप्त निर्यात ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए बैंकों को समर्थ बनाती हैं। ईसीजीसी अपने प्रीमियम दरों को काफी किफायती रखता है।

इस ब्रोशर में बैंकों के लिए उपलब्ध विभिन्न निर्यात ऋण जोखिम बीमा उत्पाद/रक्षाओं का संक्षिप्त विवरण उपलब्ध है। निगम, बैंकों के लिए उनके आवश्यकताओं के अनुरूप विशेष बीमा रक्षाएं प्रदान करने पर विचार कर सकता है।

## ===== बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा – एकल पैकिंग ऋण =====

### 1. (ईसीआईबी – आई एन पी सी)

**पात्रता:** वे बैंक अथवा वित्तीय संस्थान, जो भा.रि.बैं. के दिशा निर्देशों के अनुसार निर्यातों के उद्देश्य से अपने निर्यातक ग्राहकों को पैकिंग ऋण सुविधाओं/पोतलदान पूर्व अग्रिमों के लिए, अपने उन प्रत्येक निर्यातक ग्राहक के लिए निर्यात ऋण बीमा-एकल पैकिंग ऋण (ईसीआईबी-आईएनपीसी) रक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जो मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत हैं तथा जिनकी ऋण रेटिंग ईसीजीसी के लिए स्वीकार्य है। यह, उन बैंकों, जो सम्पूर्ण पण्यवर्त पैकिंग ऋण गारंटी धारक नहीं हैं अथवा उन खातों पर जो सम्पूर्ण पण्यवर्त पैकिंग ऋण गारंटी के रक्षाओं के सीमक्षेत्र से अपवर्जित हैं, के लिए प्राप्त की जा सकती है।

**रक्षा की अवधि:** सामान्यतया यह रक्षा 12 महीनों के लिए जारी की जाती है।

**पात्र अग्रिम:** निर्यातों के उद्देश्य से भा.रि.बैं. के दिशा निर्देशों के अनुसार निर्यातकों को प्रदान की जाने वाली सभी पैकिंग ऋण पोतलदान पूर्व अग्रिम।

**प्रदत्त रक्षा:** बैंक द्वारा अपने निर्यातक ग्राहकों को प्रदान किए जाने वाले पैकिंग ऋण अग्रिमों पर, ग्राहकों के दीर्घकालिक चूक तथा/अथवा उनका दिवालियापन की वजह से भुगतान न करने के कारण बैंक को हुई हानि की पूर्ण अथवा आंशिक राशि का कुछ प्रतिशत।

**रक्षा का प्रतिशत:** यह सामान्यतया 66-2/3% होती है।

**प्रीमियम:** माह के किसी भी दिन उच्चतम बकाया राशि पर 12 पैसे प्रति 100/- के हिसाब से देय होगा।

**अधिकतम देयता:** संरक्षित खाते के लिए मंजूर पैकिंग ऋण सीमा का 66-2/3%।

**प्रक्रिया शुल्क:** प्रस्ताव के साथ वापस न लौटाए जाने योग्य 1,000/- रु देय होंगे।

**बैंकों के महत्वपूर्ण दायित्व:**

- (i) आई आर डी ए के विनियमों/बीमा अधिनियम की धारा 64VB के अनुपालन हेतु, ईसीआईबी रक्षा की प्रभावी अवधि के दौरान हमेशा ही अग्रिम प्रीमियम के रूप में पर्याप्त राशि को खाते में जमा रखना होगा।
- (ii) प्रत्येक माह की 10 तारीख तक, निर्धारित प्रारूप में पूर्ववर्ती माह के दौरान प्रदान किए गए अग्रिमों की घोषणाओं आदि का विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

- (iii) यदि रक्षा की अवधि के दौरान पैकिंग ऋण सीमा में विस्तार किया जाता है तो अधिकतम देयता में आवश्यक विस्तार के लिए आवेदन किया जाये।
- (iv) निम्नलिखित के संबंध में निगम का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक है :-
  - (क) अतिदेय पैकिंग ऋण अग्रिमों की देय तारीख में 360 दिनों से अधिक के विस्तार के लिए।
  - (ख) जहां आस्ति वर्गीकरण “निम्न मानक “अथवा “एन. पी.ए.” होने पर भी खाते का परिचालन जारी रखने पर।
  - (ग) पुनर्गठन/पोषण/पुनर्वसन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के पूर्व।
  - (घ) ओ टी एस/समझौता पूर्ण निपटान के कार्यान्वयन के पूर्व।
  - (ङ) ए आर सी को वित्तीय आस्तियों की बिक्री के पूर्व।
- (v) देय तारीख अथवा विस्तारित देय तारीख के 4 महीनों के भीतर अथवा निर्यातक से अग्रिमों को वापस मंगाए जाने के 1 माह के भीतर, इसमें से जो भी पहले हो, चूक की रिपोर्ट दायर की जानी चाहिए।
- (vi) चूक की रिपोर्ट दायर करने के 6 माह के भीतर दावा दायर किया जाना चाहिए।
- (vii) दावा दायर करने के पूर्व सभी ऋणों अथवा बकायों को वापस मंगाए जाने हेतु निर्यातक को नोटिस जारी जारी करना होगा।
- (viii) निर्यातक उधारकर्ता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही सहित सभी वसूली कार्यवाही आरंभ की जानी चाहिए।
- (ix) वसूली पर, ईसीजीसी के साथ उसी अनुपात में वसूली की हिस्सेदारी की जानी चाहिए जिस अनुपात में ईसीजीसी व बैंक के बीच हानि की हिस्सेदारी की गयी थी।

विशेषताएँ: बैंक रक्षाओं का चुनाव कर सकता है।

## 2. बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा – एकल पोतलदानोत्तर ऋण (ईसीआईबी – आई एन पी एस)

प्रावृत्ता: बैंक अथवा वित्तीय संस्थान जो भा.रि.बैं. के दिशा निर्देशों के अनुसार निर्यातों के उद्देश्य से अपने निर्यातक ग्राहकों को पोतलदानोत्तर सुविधाओं के लिए, अपने उन प्रत्येक निर्यातक ग्राहक के लिए निर्यात ऋण बीमा-एकल पोतलदानोत्तर (ई सी आई बी-आई.एन.पी.एस.) रक्षा प्राप्त कर सकते हैं जो मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत हैं तथा जिनकी ऋण रेटिंग ईसीजीसी के लिए स्वीकार्य है। यह सुविधा, उन निर्यातकों, जो ईसीजीसी के सम्पूर्ण पण्यवर्त पैकिंग ऋण गारंटी के रक्षा धारक नहीं हैं अथवा सम्पूर्ण पण्यवर्त पोतलदानोत्तर गारंटी के रक्षा के सीमक्षेत्र से अपवर्जित खातों के लिए प्राप्त की जा सकती है।

रक्षा की अवधि: सामान्यतया यह रक्षा 12 महीनों के लिए जारी की जाती है।

**पात्र अग्रिम:** निर्यातों के उद्देश्य से भा.रि.बैं. के दिशा निर्देशों के अनुसार निर्यात बिलों की खरीद, बिलों को भुनाने व बिलों के बेचान के रूप में अथवा वसूली के लिए भेजे गए बिलों पर अग्रिम प्रदान करते हुए, निर्यातकों को प्रदान की जाने वाली सभी पोतलदानोत्तर सुविधाएं।

**प्रदत्त रक्षा:** बैंक द्वारा अपने निर्यातक ग्राहकों को प्रदान किए जाने वाले पोतलदानोत्तर ऋण अग्रिमों पर, ग्राहकों के दीर्घकालिक चूक तथा/अथवा उनके दिवालियापन के कारण उत्पन्न अभुगतान के कारण बैंक को हुई हानि की पूर्ण अथवा आंशिक राशि का कुछ प्रतिशत।

**रक्षा का प्रतिशत, प्रीमियम, अधिकतम देयता:**

कृपया निम्नलिखित सारणी देखें:

क्र.सं.	मानदंड	रक्षा का प्रतिशत	माह के दौरान किसी भी दिन उच्चतम बकाया राशि पर प्रति 100/- रु पर पैसों में प्रति माह देय प्रीमियम	माह के दौरान किसी भी दिन उच्चतम बकाया राशि पर प्रति 100/- रु पर पैसों में प्रति माह देय प्रीमियम
1.	बिना किसी अपवर्जन के सम्पूर्ण पण्यवर्त आधार पर ईसीजीसी की व्यापक जोखिम पॉलिसी धारक निर्यातक के लिए	● निर्यातक के गैर सहयोगी खरीदारों के लिए 75%	6 पैसे	75%
2.	सम्पूर्ण पण्यवर्त आधार पर ईसीजीसी की व्यापक जोखिम पॉलिसी धारक निर्यातक जिसने पॉलिसी के अधीन केवल साख पत्र के लिए अपवर्जन का विकल्प चुना हो	● गैर सहयोगी खरीदारों तथा गैर साख पत्र पर संव्यवहार वाले बिलों पर 75% ● साख पत्र बिलों पर संव्यवहार के लिए 60% ● सहयोगी खरीदारों के लिए 60% , बशर्ते कि पोतलदान पर पॉलिसी के अधीन व्यापक जोखिम रक्षा प्राप्त हो।	9 पैसे	75%
3.	पॉलिसी रक्षा के अधीन स्वीकृत विशेष सहित सम्पूर्ण पण्यवर्त आधार पर ईसीजीसी की व्यापक जोखिम पॉलिसी धारक निर्यातक अपवर्जन	● निर्यातक के गैर सहयोगी खरीदारों के लिए 75% ● सहयोगी खरीदारों के लिए 60% , बशर्ते कि पोतलदान पर पॉलिसी के अधीन व्यापक जोखिम रक्षा प्राप्त हो।	9 पैसे	75%
4.	वह निर्यातक जिसने सम्पूर्ण पण्यवर्त आधार पर ईसीजीसी की व्यापक जोखिम पॉलिसी नहीं ली हो	● गैर सहयोगी खरीदारों के लिए 60% ● सहयोगी खरीदारों पर कोई रक्षा नहीं	यदि सभी अग्रिम साख पत्र आधार पर हों तो 9 पैसे व अन्यथा 13 पैसे	60%

**प्रक्रिया शुल्क:** प्रस्ताव के साथ वापस न लौटाए जाने योग्य 1,000/- रु देय होंगे।

### बैंकों के महत्वपूर्ण दायित्व:

- (i) आईआरडीए के विनियमों/बीमा अधिनियम की धारा 64 व्हीबी के अनुपालन के ईसीआईबी रक्षा की प्रभावी अवधि के दौरान हमेशा ही अग्रिम प्रीमियम के रूप में पर्याप्त राशि को खाते में जमा रखना होगा।
- (ii) प्रत्येक माह की 10 तारीख तक, निर्धारित प्रारूप में पूर्ववर्ती माह के दौरान प्रदान किए गए अग्रिमों के घोषणाओं का विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- (iii) यदि रक्षा की अवधि के दौरान पोतलदानोत्तर सीमा में विस्तार किया जाता है तो अधिकतम देयता में आवश्यक विस्तार के लिए आवेदन किया जाये।
- (iv) ईसीजीसी के वेबसाइट से ईसीजीसी के खरीदार विशेष अनुमोदन सूची (BSAL) का संदर्भ लें ताकि पोतलदानोत्तर अवस्था में अग्रिम प्रदान करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिस खरीदार पर बिल आहारित किए जा रहे हैं कहीं वह BSAL में सूचीबद्ध तो नहीं है।
- (v) इसके अलावा आवश्यक सुरक्षा विषयक उपाय रूप में अनिवार्य है कि विदेशी खरीदारों पर आहारित बिल पर रन प्रदान करने के पूर्व प्रचलित साख सूचना एजेंसियों से विदेशी खरीदारों पर संतोषजनक साख रिपोर्ट (एक वर्ष से अधिक पुराने न हों) प्राप्त की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खरीदारों के उसके मूल्यांकन के आधार पर सामान्य रूप से भुगतानों की प्राप्ति होगी।
- (vi) निम्नलिखित के संबंध में निगम का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक है :
  - (क) अतिदेय पोतलदानोत्तर ऋण अग्रिमों की देय तारीख में 180 दिनों से अधिक के विस्तार के लिए (हैसियत धारकों के लिए यह 360 दिन हैं) ।
  - (ख) जहां अस्ति वर्गीकरण “निम्न मानक” अथवा “एन पी ए” होने पर भी खाते का परिचालन पूर्व अनुसार जारी रखने पर।
  - (ग) पुनर्गठन/पोषण/पुनर्वसन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के पूर्व।
  - (घ) ओटीएस/समझौता पूर्ण निपटान के कार्यान्वयन के पूर्व।
  - (ङ) ए आर सी को वित्तीय आस्तियों की बिक्री के पूर्व।
  - (च) प्रतिबंधित रक्षा वाले देशों में खरीदारों पर आहारित बिलों के खरीद/भुनाने के पहले, यदि निर्यातक ने उसको जारी पॉलिसी के अधीन पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है। तथापि यह सुझाव दिया जाता है कि जहां भी संभव हो बैंक, यदि प्रतिबंधित रक्षा वाले देशों के खरीदारों को निर्यात करने के लिए निर्यातक को ऋण दे रहा है तो पैकिंग ऋण अवस्था में ही ईसीजीसी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर ले।
- (vii) देय तारीख अथवा विस्तारित देय तारीख के 4 महीनों के भीतर अथवा निर्यातक से अग्रिमों को वापस मंगाए जाने के 1 माह के भीतर, इसमें से जो भी पहले हो, चूक की रिपोर्ट दायर की जानी चाहिए।
- (viii) चूक की रिपोर्ट दायर करने के 6 माह के भीतर दावा दायर किया जाना चाहिए।

- (ix) दावा दायर करने के पूर्व सभी ऋणों अथवा बकायों को वापस मंगाने हेतु निर्यातक को नोटिस जारी किया जाना चाहिए।
- (x) निर्यातक उधारकर्ता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही सहित सभी वसूली कार्यवाही आरंभ की जानी चाहिए।
- (xi) वसूली पर, ईसीजीसी के साथ उसी अनुपात में वसूली की हिस्सेदारी की जानी चाहिए जिस अनुपात में ईसीजीसी व बैंक के बीच हानि की हिस्सेदारी की गयी थी।
- (xii) यह सुनिश्चित करना कि हमारे पॉलिसी धारक निर्यातक ने पॉलिसी के अधीन सभी आवश्यकताओं जैसे विदेशी खरीदारों पर उचित ऋण सीमा प्राप्त करना (आहरकवार सीमा), प्रीमियम की अदायगी, पोतलदान घोषणा की प्रस्तुति आदि, ताकि पॉलिसीधारक के रूप में निर्यातक के प्राप्त उच्च रक्षा का प्रतिशत व न्यून प्रीमियम की सुविधा ईसीआईबी रक्षा के अधीन बैंक को भी उपलब्ध हो।

विशेषताएँ: बैंक रक्षाओं का चुनाव कर सकता है।

### 3. बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा – श्योरिटी कवर (ईसीआईबी- एससी)

पात्रता: बैंक अथवा वित्तीय संस्थान जो भा.रि.बैं. के दिशा निर्देशों के अनुसार निर्यातों के उद्देश्य से अपने निर्यातक ग्राहकों को गैर निधि आधारित सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं वे अपने निर्यातक ग्राहकों के लिए बैंक द्वारा ईसीआईबी-एससी रक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जो मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत हैं तथा जिनकी ऋण रेटिंग ईसीजीसी के लिए स्वीकार्य है व उनके अंक 50% व उससे अधिक हैं। ईसीआईबी (एससी) रक्षा के लिए वही बैंक पात्र होगा जिसने निर्यात ग्राहक को निर्यातों के लिए निश्चित कार्यकारी पूंजी सुविधा मंजूर की है।

रक्षा की अवधि: सामान्यतया, यह रक्षा बैंक गारंटी की अवधि एवं अधिकतम 12 महीनों के लिए जारी की जाती है। तथापि बैंक 12 महीनों की समाप्ति पर, जहां भी आवश्यक हो ईसीआईबी (एससी) रक्षा की वैधता में विस्तार की मांग कर सकता है।

पात्र बैंक गारंटी: बैंक गारंटियों के संबंध में भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों अनुसरण में बैंकों द्वारा जारी निम्नलिखित गारंटियाँ रक्षा की पात्र होंगी:

- (क) बिड बॉन्ड गारंटी: विदेश में टेंडर के लिए बोली लगाने के इच्छुक निर्यातक ग्राहकों की ओर से बैंक द्वारा जारी बिड बॉन्ड गारंटी।
- (ख) नियत निष्पादन गारंटी: यदि वैश्विक टेंडर में निर्यातक की प्रतिभागिता के लिए उसे ठेका मिल जाता है तो विदेशी खरीदार/ग्राहक के पक्ष में उसे नियत निष्पादन के लिए बैंक गारंटी देनी पड़ती है, जिसे बैंक द्वारा अपने निर्यातक ग्राहक की ओर से दिया जा सकता है।
- (ग) अग्रिम भुगतान गारंटी: विदेशी खरीदार के पक्ष में बैंक द्वारा अपने निर्यातक ग्राहकों की ओर से जारी गारंटियाँ, जिस पर निर्यात ठेके/आदेश के कार्यान्वयन के लिए निर्यातक को खरीदार द्वारा अग्रिम भुगतान किया जाता है।

(घ) निर्यात संव्यवहारों के लिए कच्चे माल के आयात के लिए, अपने निर्यातक ग्राहकों की ओर से बैंकों द्वारा खोले जाने वाले साख पत्र।

**प्रदत्त रक्षा:** बैंक द्वारा अपने निर्यातक ग्राहकों को प्रदान किए जाने वाले अग्रिमों पर, ग्राहकों के दीर्घकालिक चूक अथवा उनका दिवालियापन के कारण उत्पन्न अभुगतान के कारण बैंक को हुई हानि।

**रक्षा का प्रतिशत:** रक्षा का प्रतिशत अधिकतम 75% होगा।

**प्रीमियम:** निर्यातक ग्राहक को बीमित ऋण के मूल्य पर ऋण रेटिंग अंकों/स्कोर के आधार पर 10 से 12 पैसे के बीच प्रति 100/- के हिसाब से देय होगा।

**अधिकतम देयता:** गारंटी मूल्य के 75% अथवा आवेदित रक्षा मूल्य के 75%, इनमें से जो भी कम हो।

**प्रक्रिया शुल्क:** प्रस्ताव के साथ वापस न लौटाए जाने योग्य 1,000/- रु देय होंगे।

**बैंकों के महत्वपूर्ण दायित्व:**

- (i) अग्रिम रूप में पूर्ण प्रीमियम का प्रेषण।
- (ii) यदि बैंक गारंटी रक्षा की वैधता अवधि से अधिक समय की है तो रक्षा समाप्त होने के पहले ईसीआईबी (एससी) रक्षा की वैधता अवधि में विस्तार का आवेदन किया जाना।
- (iii) चूक की रिपोर्ट ईसीआईबी (एससी) रक्षा की समाप्ति से 4 महीनों के भीतर अथवा बैंक द्वारा निर्यातक को अपने ऋण के भुगतान की नोटिस की तारीख से 30 दिनों, इनमें से जो भी पहले हो, तक दायर की जानी चाहिए।
- (iv) चूक की रिपोर्ट दायर करने के 6 माह के भीतर दावा दायर किया जाना चाहिए।
- (v) दावा दायर करने के पूर्व सभी ऋणों अथवा बकायों को वापस मंगाते हुए निर्यातक उधारकर्ता को सभी प्रकार के ऋणों को वापस मंगाते हुए नोटिस दिया जाना।
- (vi) निर्यातक उधारकर्ता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही सहित सभी वसूली कार्यवाही आरंभ की जानी चाहिए।
- (vii) वसूली पर, ईसीजीसी के साथ उसी अनुपात में वसूली की हिस्सेदारी की जानी चाहिए जिस अनुपात में ईसीजीसी व बैंक के बीच हानि की हिस्सेदारी की गयी थी।
- (viii) किसी भी प्रकार के ओटीएस/समझौता निपटान के कार्यान्वयन के पहले निगम का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना।
- (ix) वित्तीय आस्तियों की एआरसी को बिक्री के पहले निगम का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना।

**विशेषताएँ:** बैंक रक्षाओं का चुनाव कर सकता है।

#### 4. बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा – सम्पूर्ण पण्यवर्त पैकिंग ऋण (ईसीआईबी – डब्ल्यूटी-पीसी)

**पात्रता:** बैंक अथवा वित्तीय संस्थान जो भा.रि.बैं. के दिशा निर्देशों के अनुसार निर्यातों के उद्देश्य से अपने निर्यातक ग्राहकों को पैकिंग ऋण सुविधाओं/पोतलदान पूर्व अग्रिम जारी करते हैं वे अपने ऐसे खातों पर सम्पूर्ण पण्यवर्त निर्यात ऋण बीमा-पैकिंग ऋण(ईसीआईबी डब्ल्यूटीपीसी) रक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सामान्यतया, न्यूनतम 50 खातों व 50 लाख रु. के वार्षिक आश्वासित प्रीमियम प्रदान करने वाले बैंक सम्पूर्ण पण्यवर्त रक्षा के लिए पात्र होंगे।

**रक्षा की अवधि:** सामान्यतया यह रक्षा 12 महीनों के लिए जारी की जाती है।

**पात्र अग्रिम:** निर्यातों के उद्देश्य से भा.रि.बैं. के दिशा निर्देशों के अनुसार निर्यातकों को प्रदान की जाने वाले सभी पैकिंग ऋण/पोतलदान पूर्व अग्रिम।

**प्रदत्त रक्षा:** बैंक द्वारा अपने निर्यातक ग्राहकों को प्रदान किए जाने वाले पैकिंग ऋण अग्रिमों पर, ग्राहकों के दीर्घकालिक चूक तथा/अथवा उनका दिवालियापन के कारण उत्पन्न अभुगतान के कारण बैंक को हुई हानि की पूर्ण अथवा आंशिक राशि का कुछ प्रतिशत।

**रक्षा का प्रतिशत:** रक्षा का प्रतिशत दावा-प्रीमियम अनुपात व बैंक के लिए निर्धारित “निर्धारित सीमा (Set Limit)” पर आधारित होगा। बैंक द्वारा पिछले वर्ष प्रेषित कुल प्रीमियम राशि को “निर्धारित सीमा” माना जाएगा। रक्षा का प्रतिशत 50 से 75 के बीच होगा। ईसीआईबी रक्षा की अनुसूची में हानि की राशि के प्रतिशत का उल्लेख है। नयी रक्षा के मामले में, प्रस्ताव में उल्लिखित औसत बकाए के आधार पर पिछले वर्ष के लिए अनुमानित प्रीमियम को लागू करते हुए “निर्धारित सीमा” का निर्धारण किया जाएगा।

**प्रीमियम:** नयी रक्षा के लिए यह 9 पैसे प्रति 100/- रु प्रति माह होगा। नवीकरण के लिए यह बैंक के दावा प्रीमियम अनुपात के आधार पर 6 पैसे से 13.5 पैसे प्रति 100/- प्रति माह के अनुसार देय होगा। ग्राहक विशिष्ट रक्षाओं के अधीन उधारकर्ता के ऋण रेटिंग के आधार पर प्रीमियम की अदायगी का विकल्प उपलब्ध है। प्रीमियम , माह के लिए ईसीआईबी- डब्ल्यूटीपीसी के अधीन रक्षित सभी खातों के लिए गणना किए गए औसत दैनिक उत्पाद पर देय होगा।

**अधिकतम देयता:** यह ईसीआईबी- डब्ल्यूटीपीसी रक्षा के अधीन अनुसूची में दर्शाये अनुसार निगम की अधिकतम औसत देयता होती है।

**प्रक्रिया शुल्क:** प्रस्ताव के साथ वापस न लौटाए जाने योग्य 10,000/- रु देय होंगे।

**विवेकाधीन सीमा:** ईसीआईबी- डब्ल्यूटीपीसी की अनुसूची के अनुसार, ‘नए’/‘अधीनीकृत’ के रूप में वर्गीकृत निर्यातकों को मंजूर निर्यात पैकिंग ऋण सीमाओं के लिए जहां खातों का आस्ति



वर्गीकरण शेष हो, भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबै) के मानदंडों के अनुसार आस्ति वर्गीकरण की सीमा तक, बैंकों द्वारा निगम का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक नहीं है।

### बैंकों के महत्वपूर्ण दायित्व:

- (i) आईआरडीए के विनियमों / बीमा अधिनियम की धारा 64 VB के अनुपालन के ईसीआईबी रक्षा की प्रभावी अवधि के दौरान हमेशा ही अग्रिम प्रीमियम के रूप में पर्याप्त राशि को खाते में जमा रखना होगा।
- (ii) प्रत्येक माह की समाप्ति के पहले, निर्धारित प्रारूप में पूर्ववर्ती माह के दौरान प्रदान किए गए अग्रिमों के घोषणाओं का प्रीमियम सहित विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- (iii) यह सुनिश्चित किया जाये कि कोई भी खाता (अपवर्जित श्रेणी को छोड़ कर) प्रदान किए गए अग्रिमों की मासिक घोषणा से नहीं छूटे।
- (iv) अग्रिमों के वितरण के पहले ईसीजीसी की विशेष अनुमोदन सूची (SAL) की जांच कर ली जाये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं निर्यातक तथा/अथवा उसका मालिक/भागीदार/निदेशक/गारंटीकर्ता/सहयोगी संस्था आदि सूचीबद्ध तो नहीं है। यदि निर्यातक ईकाई तथा/अथवा संबन्धित व्यक्ति एस ए एल में सूचीबद्ध हैं तो बैंक द्वारा ईसीआईबी रक्षा के अधीन निगम का पूर्व लिखित अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक है। एस ए एल के विवरण को देखने के लिए कृपया ईसीजीसी के वेबसाइट [www.ecgc.in](http://www.ecgc.in) को देखें।
- (v) यदि 'नए' निर्यातक को ईसीआईबी रक्षा के अधीन परिभाषित विवेकाधीन सीमा तक किसी प्रकार की सीमा की मंजूरी दी जाती है तो इस प्रकार की मंजूरी के बाद उसे 30 दिनों के भीतर निर्धारित प्रारूप में ईसीजीसी के निकटतम कार्यालय में अधिसूचित किया जाना आवश्यक है।
- (vi) किसी प्रकार की नयी मंजूरी/विस्तार/कटौती/सीमा को रद्द करने अथवा प्रबंधन/खाते की स्थिति में परिवर्तन को ईसीजीसी के निकटतम कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में सीमाओं की इस प्रकार के परिवर्तन को अधिसूचित किया जाये बशर्ते कि आस्ति वर्गीकरण "मानक" हो।
- (vii) निम्नलिखित के संबंध में निगम का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक है:
  - (क) 'नए'/'अधीनीकृत' खातों के लिए विवेकाधीन सीमा से अधिक की मंजूर सीमाओं के लिए;
  - (ख) जहां आस्ति वर्गीकरण 'मानक' न हो तो इस प्रकार की सीमाओं की मंजूरी नवीकरण/विस्तार के लिए;
  - (ग) जहां संयुक्त (पीसी+सीसी) सीमाओं की मंजूरी दी जाती है व यदि कुल पी सी सीमा (सी सी की तुलना में) 25 करोड़ रु से अधिक हो अथवा संयुक्त सीमा (सीसी+पीसी) से 25% अधिक हो तो;
  - (घ) खाते के आस्ति वर्गीकरण पर ध्यान दिये बिना जहां एकल निर्यातक सीमा/निर्यातक समूह सीमा (पीसी+पीएस) 200 करोड़ रु तक अथवा उससे अधिक हो तो;

- (ड) जहां निर्यातक अपने नियमित कारोबार के अलावा अन्य कारोबार में प्रवेश करता है व जहां अन्य कारोबार का हिस्सा उसके कुल निर्यात पण्यवर्त की तुलना में 10% से अधिक हो तो (मर्चेंट निर्यातकों को छोड़ कर यह उन निर्यातकों पर लागू होगा जिनका निर्यात पण्यवर्त 500 करोड़ रु तक अथवा उससे अधिक हो);
- (च) खाते के अस्ति वर्गीकरण पर ध्यान दिये बिना, उस खाते के लिए, जहां प्रति खरीदार सीमा / जोखिम 100 करोड़ तथा यह उन मामलों पर भी लागू होगा जहां बैंक ने पीसी व पीएस सुविधा में आपसी परिवर्तन को मंजूरी दी है;
- (छ) अतिदेय पैकिंग ऋण अग्रिमों की देय तारीख में 360 दिनों से अधिक के विस्तार के लिए।
- (ज) जहां अस्ति वर्गीकरण “निम्न मानक” अथवा “एनपीए” होने पर भी खाते का परिचालन पूर्व अनुसार जारी रखने पर।
- (झ) पुनर्गठन/पोषण/पुनर्वसन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के पूर्व।
- (ञ) ओटीएस/ समझौता पूर्ण निपटान के कार्यान्वयन के पूर्व।
- (ट) एआरसी को वित्तीय अस्तियों की बिक्री के पूर्व।
- (viii) देय तारीख अथवा विस्तारित देय तारीख के 4 महीनों के भीतर अथवा निर्यातक से अग्रिमों को वापस मंगाए जाने के 1 माह के भीतर, इसमें से जो भी पहले हो, चूक की रिपोर्ट दायर की जानी चाहिए।
- (ix) चूक की रिपोर्ट दायर करने के 6 माह के भीतर दावा दायर किया जाना चाहिए।
- (x) दावा दायर करने के पूर्व सभी ऋणों अथवा बकायों को वापस मंगाए जाने हेतु निर्यातक को नोटिस जारी करना।
- (xi) निर्यातक उधारकर्ता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही सहित सभी वसूली कार्यवाही आरंभ की जानी चाहिए।
- (xii) वसूली पर, ईसीजीसी के साथ उसी अनुपात में वसूली की हिस्सेदारी की जानी चाहिए जिस अनुपात में ईसीजीसी व बैंक के बीच हानि की हिस्सेदारी की गयी थी।

**विशेषताएँ:** बैंक एम एस एम ई /एस एस आई/ सरकारी कंपनियाँ तथा अपतटीय बैंकिंग इकाइयों (OBU) को ईसीआईबी-डब्ल्यूटीपीसी रक्षा के सीमक्षेत्र से अपवर्जित करने का विकल्प चुन सकते हैं। बैंक रक्षा प्राप्त करने के इच्छुक सभी खातों के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रीमियम की अदायगी प्रत्येक माह गणना किए जाने वाले औसत दैनिक उत्पाद पर देय होगा। घोषणा आगामी माह के अंत तक प्रस्तुत की जानी चाहिए। ईसीआईबी-डब्ल्यूटीपीसी रक्षा, एकल ईसीआईबी रक्षाओं की तुलना में न्यून प्रीमियम पर उच्च रक्षा प्रदान करती है।

## 5. बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा – बैंकवार पैकिंग ऋण (ईसीआईबी – डब्ल्यूटी-पीएस)

**पात्रता:** बैंक अथवा वित्तीय संस्थान जो भा.रि.बैं. के दिशा निर्देशों के अनुसार निर्यातों के उद्देश्य से अपने निर्यातक ग्राहकों को पोतलदानोत्तर सुविधाओं के लिए, अपने ऐसे सभी निर्यातक ग्राहकों के लिए बैंकों द्वारा सम्पूर्ण पण्यवर्त निर्यात ऋण बीमा- पोतलदानोत्तर (ईसीआईबी-डब्ल्यूटीपीएस) रक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सामान्यतया, न्यूनतम 50 खातों व 50 लाख रु के वार्षिक आश्वासित प्रीमियम प्रदान करने वाले बैंक इस रक्षा के लिए पात्र हैं।

**रक्षा की अवधि:** सामान्यतया यह रक्षा 12 महीनों के लिए जारी की जाती है।

**पात्र अग्रिम:** निर्यातों के उद्देश्य से भा रि बैं के दिशा निर्देशों के अनुसार निर्यातकों को निर्यात बिलों की खरीद, बिल के बेचान अथवा भुनाने के रूप में अथवा वसूली के लिए भेजे गए बिलों पर पदत अग्रिमों के रूप में प्रदान की जाने वाली पोतलदानोत्तर सुविधाएं।

**प्रदत्त रक्षा:** बैंक द्वारा अपने निर्यातक ग्राहकों को प्रदान किए जाने वाले पोतलदानोत्तर ऋण अथवा अग्रिमों पर, ग्राहकों के दीर्घकालिक चूक तथा/अथवा उनका दिवालियापन के कारण उत्पन्न अभुगतान के कारण बैंक को हुई हानि का कुछ प्रतिशत।

**रक्षा का प्रतिशत:** यह (i) बैंक के निवल दावा प्रीमियम अनुपात (ii) बैंक के लिए निर्धारित 'निर्धारित सीमा' तथा (iii) निर्यातक का ईसीजीसी का पॉलिसी धारक होने के आधार, पर 50% से 95% के बीच होगी। बैंक द्वारा पिछले वर्ष प्रेषित कुल प्रीमियम राशि 'निर्धारित सीमा' माना जाएगा। पॉलिसी धारकों के सहयोगियों पर आधारित बिलों के संबंध में रक्षा का प्रतिशत 60% होगा तथा गैर पॉलिसी धारकों के लिए यह 50% होगा। ईसीआईबी रक्षा की अनुसूची में हानि की राशि के प्रतिशत का उल्लेख है।

**प्रीमियम:** नयी रक्षा के लिए यह 9 पैसे प्रति 100/- रु प्रति माह होगा। नवीकरण के लिए यह 4.5 पैसे से 9 पैसे के बीच होगा जो: (i) साख पत्र बिलों पर प्रदत्त अग्रिमों को रक्षा के सीमक्षेत्र में शामिल/अपवर्जित किए जाने व (ii) बैंक के निवल दावा प्रीमियम अनुपात; पर आधारित होगा। ग्राहक विशेष रक्षाओं के अधीन खरीदार के ऋण रेटिंग के आधार पर प्रीमियम की अदायगी का विकल्प उपलब्ध है। प्रीमियम, ईसीआईबी-डब्ल्यूटीपीएस के अधीन संरक्षित सभी खातों के लिए माह के कुल औसत दैनिक उत्पाद पर देय होगा।

**अधिकतम देयता:** यह ईसीआईबी-डब्ल्यूटीपीएस रक्षा के अधीन अनुसूची में दर्शाये अनुसार निगम की अधिकतम औसत देयता होती है।

**प्रक्रिया शुल्क:** प्रस्ताव के साथ वापस न लौटाए जाने योग्य 10,000/- रु देय होंगे।

विवेकाधीन सीमा: डब्ल्यूटीपीसी की अनुसूची के अनुसार, 'नए'/'अधीनीकृत' के रूप में वर्गीकृत निर्यातकों को मंजूर पोतलदानोत्तर ऋण सीमाओं के लिए जहां खातों का आस्ति वर्गीकरण शेष हो, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के मानदंडों के अनुसार आस्ति वर्गीकरण की सीमा तक, बैंकों द्वारा निगम का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक नहीं है।

बैंकों के महत्वपूर्ण दायित्व:

- (i) आईआरडीए के विनियमों/बीमा अधिनियम की धारा 64VB के अनुपालन के ईसीआईबी रक्षा की प्रभावी अवधि के दौरान हमेशा ही अग्रिम प्रीमियम के रूप में पर्याप्त राशि को खाते में जमा रखना होगा।
- (ii) प्रत्येक माह की समाप्ति के पहले, निर्धारित प्रारूप में पूर्ववर्ती माह के दौरान आहरण आधार पर भेजे गए बिलों के विवरण एवं क्रिस्टलाइज्ड सभी बिलों सहित प्रदान किए गए अग्रिमों के घोषणाओं का प्रीमियम सहित विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- (iii) यह सुनिश्चित किया जाये कि कोई भी खाता (अपवर्जित श्रेणी को छोड़ कर) प्रदान किए गए अग्रिमों की मासिक घोषणा से नहीं छूटे।
- (iv) अग्रिमों के वितरण के पहले ईसीजीसी की विशेष अनुमोदन सूची (SAL) की जांच कर ली जाये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं निर्यातक तथा/अथवा उसका मालिक/भागीदार/निदेशक/गारंटीकर्ता/सहयोगी संस्था आदि सूचीबद्ध तो नहीं है। यदि निर्यातक ईकाई तथा/अथवा संबन्धित व्यक्ति एसएएल में सूचीबद्ध हैं तो बैंक द्वारा ईसीआईबी रक्षा के अधीन निगम का पूर्व लिखित अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक है। एसएएल के विवरण को देखने के लिए कृपया ईसीजीसी के वेबसाइट [www.ecgc.in](http://www.ecgc.in) को देखें।
- (v) ईसीजीसी की वेबसाइट से ईसीजीसी के खरीदार विशेष अनुमोदन सूची (BSAL) की जांच करना ताकि पोतलदानोत्तर अवस्था में अग्रिम देने के पहले यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई खरीदार हमारे बी एस ए एल में तो सूचीबद्ध नहीं है।
- (vi) विदेशी खरीदारों पर आहरित बिलों पर ऋण प्रदान करने के पहले यह अनिवार्य है कि अन्य प्रकार की सावधानी बरती जाये जैसे प्रचलित ऋण जानकारी एजेंसियों से संतोषजनक ऋण रिपोर्ट (एक वर्ष से अधिक पुरानी न हो) प्राप्त कर लिया जाये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खरीदारों पर मूल्यांकन के आधार पर भुगतान सामान्य रूप से ही प्राप्त होंगे।
- (vii) यदि 'नए' निर्यातक को ईसीआईबी रक्षा के अधीन परिभाषित विवेकाधीन सीमा तक किसी प्रकार की सीमा की मंजूरी दी जाती है तो इस प्रकार की मंजूरी के बाद उसे 30 दिनों के भीतर निर्धारित प्रारूप में ईसीजीसी के निकटतम कार्यालय में अधिसूचित किया जाना आवश्यक है।
- (viii) किसी प्रकार की नयी मंजूरी/विस्तार/कटौती/सीमा को रद्द करने अथवा प्रबंधन/खाते की स्थिति में परिवर्तन को ईसीजीसी के निकटतम कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में सीमाओं की इस प्रकार के परिवर्तन को अधिसूचित किया जाये बशर्ते कि आस्ति वर्गीकरण "मानक" हो।

- (ix) निम्नलिखित के संबंध में निगम का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक है:
- (क) 'नए'/'अधीनीकृत' खातों के लिए विवेकाधीन सीमा से अधिक की मंजूर सीमाओं के लिए;
  - (ख) जहां आस्ति वर्गीकरण 'मानक' न हो तो इस प्रकार की सीमाओं की मंजूरी/नवीकरण/विस्तार/के लिए;
  - (ग) जहां संयुक्त (पीसी+सीसी) सीमाओं की मंजूरी दी जाती है व यदि कुल पीसी सीमा (सीसी की तुलना में) 25 करोड़ रु से अधिक हो अथवा संयुक्त सीमा (सीसी+पीसी) से 25% अधिक हो तो;
  - (घ) खाते के आस्ति वर्गीकरण पर ध्यान दिये बिना जहां एकल निर्यातक सीमा/निर्यातक समूह सीमा (पीसी+पीएस) 200 करोड़ रु तक अथवा उससे अधिक हो तो;
  - (ङ) जहां निर्यातक अपने नियमित कारोबार के अलावा अन्य कारोबार में प्रवेश करता है व जहां अन्य कारोबार का हिस्सा उसके कुल निर्यात पण्यवर्त की तुलना में 10% से अधिक हो तो (मर्चेंट निर्यातकों को छोड़ कर यह उन निर्यातकों पर लागू होगा जिनका निर्यात पण्यवर्त 500 करोड़ रु तक अथवा उससे अधिक हो);
  - (च) खाते के आस्ति वर्गीकरण पर ध्यान दिये बिना, उस खाते के लिए, जहां प्रति खरीदार सीमा/जोखिम 100 करोड़ तथा यह उन मामलों पर भी लागू होगा जहां बैंक ने पीसी व पीएस सुविधा में आपसी परिवर्तन को मंजूरी दी है;
  - (छ) अतिदेय पोतलदानोत्तर अग्रिमों की देय तारीख में 180 दिनों से अधिक के विस्तार के लिए। (हैसियत धारक के लिए 360 दिन)
  - (ज) जहां अस्ति वर्गीकरण "निम्न मानक" अथवा "एनपीए" होने पर भी खाते का परिचालन पूर्व अनुसार जारी रखने पर।
  - (झ) पुनर्गठन/पोषण/पुनर्वसन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के पूर्व।
  - (ञ) ओटीएस/समझौता पूर्ण निपटान के कार्यान्वयन के पूर्व।
  - (ट) एआरसी को वित्तीय आस्तियों की बिक्री के पूर्व।
  - (ठ) प्रतिबंधित रक्षा वाले देशों के खरीदारों पर आहारित बिलों के खरीद/भुनाने के पहले, यदि निर्यातक ने उसको जारी पॉलिसी के अधीन पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया हो। तथापि यह सुझाव दिया जाता है कि जहां भी संभव हो, बैंकों द्वारा प्रतिबंधित रक्षा वाले देशों के खरीदारों पर अग्रिम प्रदान करने के पहले पैकिंग ऋण अवस्था में ही ईसीजीसी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये।
- (x) देय तारीख अथवा विस्तारित देय तारीख के 4 महीनों के भीतर अथवा निर्यातक से अग्रिमों को वापस मंगाए जाने के 1 माह के भीतर, इसमें से जो भी पहले हो, चूक की रिपोर्ट दायर की जानी चाहिए।
- (xi) चूक की रिपोर्ट दायर करने के 6 माह के भीतर दावा दायर किया जाना चाहिए।

- (xii) दावा दायर करने के पूर्व सभी ऋणों अथवा बकायों को वापस मंगाने का नोटिस जारी किया जाना चाहिए।
- (xiii) निर्यातक उधारकर्ता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही सहित सभी आवश्यक वसूली कार्यवाही आरंभ की जानी चाहिए।
- (xiv) वसूली पर, ईसीजीसी के साथ उसी अनुपात में वसूली की हिस्सेदारी की जानी चाहिए जिस अनुपात में ईसीजीसी व बैंक के बीच हानि की हिस्सेदारी की गयी थी।
- (xv) यदि निर्यातक ईसीजीसी का पॉलिसी धारक है तो यह सुनिश्चित किया जाये कि उसने पॉलिसी के अधीन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की है जैसे विदेशी खरीदारों पर उचित साख सीमा (आहरकवार सीमा) की प्राप्ति, प्रीमियम की अदायगी, पोतलदान की समय पर घोषणा आदि की है ताकि पॉलिसी धारक के रूप में निर्यातक को दिया जाने वाले उच्च रक्षा के प्रतिशत की सुविधा इसीआईबी के अधीन बैंक को भी प्राप्त हो सके।

**विशेषताएँ:** बैंक एमएसएमई/एसएसआई/सरकारी कंपनियाँ तथा अपतटीय बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) को ईसीआईबी-डब्ल्यूटीपीसी रक्षा के सीमक्षेत्र से अपवर्जित करने का विकल्प चुन सकते हैं। बैंक रक्षा प्राप्त करने के इच्छुक सभी खातों के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रीमियम की अदायगी प्रत्येक माह गणना किए जाने वाले औसत दैनिक उत्पाद पर देय होगा। घोषणा आगामी माह के अंत तक प्रस्तुत की जानी चाहिए। ईसीआईबी-डब्ल्यूटीपीसी रक्षा, एकल ईसीआईबी रक्षाओं की तुलना में न्यून प्रीमियम पर उच्च रक्षा प्रदान करती है।

ईसीआईबी  
क्या करें | क्या न करें

## बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा

### ईसीआईबी डबल्यूटी रक्षा के अधीन क्या करें तथा क्या न करें। क्या करें

#### I मंजूरी/ वितरण पूर्व शर्तें

1. अग्रिमों के भुगतान के पहले मंजूरी में निरूपित सभी वितरण पूर्व शर्तों का अनुपालन।
2. मंजूरी पत्र में निरूपित सभी निबंधनों एवं शर्तों का अनुपालन।
3. बैंक की मंजूरी शर्तों में किसी प्रकार के विचलन/छूट की स्थिति में अपने बैंक के सक्षम प्राधिकारी का आवश्यक अनुमोदन अनिवार्य
4. पोतलदान पूर्व / पोतलदानोत्तर विशेष (अलग अलग) सीमाओं की मंजूरी तथा ई सी जी सी को सूचना – सुनिश्चित किया जाये कि इन सीमाओं को घरेलू सीमाओं (नकद ऋण) के साथ न शामिल किया जाये (भले ही मंजूरी के समय इन पर एक साथ मंजूरी प्रदान की गयी हो, बैंक द्वारा ई सी जी सी को वास्तविक पी सी सीमाओं की सूचना दी जानी चाहिए।) बैंकों द्वारा केवल परिचालनात्मक सुविधा के लिए आवश्यक अपवादात्मक मामलों, में समन्वित सीमा की मंजूरी प्रदान की जाये। निर्यातक द्वारा निर्यातित किसी भी वस्तु के लिए जहां पी सी सीमा (नकद ऋण में से) 25 करोड़ रु से अधिक हो अथवा समग्र सीमा (नकद ऋण + पी सी सीमा) के 25% हो तो, व बैंक, वास्तविक पी सी सीमा नहीं दर्शाता है वहाँ उसे ई सी जी सी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा
5. जोखिम सीमा: सुनिश्चित किया जाये कि संघीय / बहु बैंकिंग व्यवस्था के अधीन किसी एक निर्यातक / निर्यातक समूह , जिसके लिए रक्षा हेतु आवेदन किया गया है, के लिए पोतलदान पूर्व एवं पोतलदानोत्तर सीमाओं के अधीन कुल सीमाएं 1200 करोड़ रु से अधिक न हो क्योंकि दिनांक 06.10.2015 से इस सीमा से अधिक के लिए ई सी जी सी की रक्षा उपलब्ध नहीं होगी।

#### II अधिसूचना / सीमाओं की स्वीकृति

6. सीमा अधिसूचना: यदि निर्यातक/निर्यातक समूह के लिए एकल बैंकिंग व्यवस्था अथवा संघीय/बहु बैंकिंग व्यवस्था के अधीन कुल पी सी/पी एस सीमाएं 200 करोड़ रु हैं तो सीमाओं की मंजूरी/संशोधन को मंजूरी के 30 दिनों के भीतर निर्धारित प्रारूप में ई सी जी सी को अधिसूचना हेतु प्रस्तुत किया जाये।
7. विवेकाधीन सीमा: यदि कोई निर्यातक खाता बैंक के लिए “नया” है एवं स्वीकृत सीमा बैंक हेतु निर्धारित विवेकाधीन सीमा (डीएल) से अधिक है तो बैंक को 60 दिनों के भीतर ई सी जी सी का अनुमोदन प्राप्त करना होगा ।



8. पूर्व खरीदार सीमा/जोखिम: खाते के आस्ति वर्गीकरण से इतर जहां कोई खरीदार सीमा / जोखिम सीमा 100 करोड़ रु प्रति खरीदार से अधिक हो (पीसी एवं पीएस के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए)। (50 करोड़ रुपए की सीमा 100 % विनिमेय है) निगम की स्वीकृति प्राप्त की जाये ।
9. विशेष अनुमोदन सूची(SAL):अग्रिमों के वितरण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये कि निर्यातक/अथवा उसके साझेदार/निदेशक/सहयोगी संस्थान, ईसीजीसी की विशेष अनुमोदन सूची (SAL)/भा रि बैं की कॉशन सूची शामिल नहीं हैं।
- 10.यदि कोई निर्यातक/ अथवा इसके साझेदार/ निदेशक/सहयोगी संस्थान ईसीजीसी की विशेष अनुमोदन सूची में हैं तो अग्रिम प्रदान करने से पहले ईसीजीसी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करें ।
11. यदि कोई खाता न्यून मानक अथवा संदेहपूर्ण अथवा घाटे के रूप में वर्गीकृत है तो ऐसे निर्यातक को सीमा मंजूर करने से पहले ईसीजीसी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करें।
- 12.रत्न, आभूषण एवं हीरे(GJD): रत्न, आभूषण व हीरों (GJD) के निर्यातकों जिन पर दिनांक 01.03.2014 को अथवा उसके पश्चात नयी सीमा की मंजूरी / सीमा में विस्तार किया गया है, एकल ECIB- रक्षा प्राप्त करें क्योंकि इस प्रकार के खातों के लिए के लिए ECIB-WTPC/WTPS के लिए रक्षा उपलब्ध नहीं है। तथापि दिनांक 01.03.2014 के पहले मंजूर सीमाओं के लिए ECIB-WTPC/WTPS के अधीन रक्षा प्रदान की जा सकती है।
- 13.जी जे डी के निर्यातकों के लिए 01.07.2013 को अथवा उसके पश्चात मंजूर नयी/ विस्तारित सीमाओं के लिए कम से कम 20% की संपार्श्विक प्रतिभूति/अतिरिक्त संपार्श्विक प्रतिभूति प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाये।
- 14.200 करोड़ रुपये से अधिक की सीमा का अनुमोदन: किसी भी आस्ति वर्गीकरण वाले निर्यातक/निर्यातक समूह के लिए एकल बैंकिंग/संघीय बैंकिंग/बहु बैंकिंग व्यवस्था के अधीन बैंक की कुल पी सी व पी एस सीमा 200 करोड़ रु तक अथवा उससे अधिक हो तो ई सी जी सी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।
- 15.ईसीआईबी के अधीन पहले से ही सुरक्षा प्राप्त किसी भी आस्ति वर्गीकरण में हुये किसी भी संशोधन को अधिसूचित करें ।
- 16.असम्बद्ध व्यापार गतिविधियों में विविधिकरण: जहां निर्यातक ने अपने नियमित व्यापार के अतिरिक्त असंबद्ध व्यापार गतिविधियों में प्रवेश किया हो तथा जहां इस प्रकार के असंबद्ध व्यापार गतिविधियों का हिस्सा निर्यात पण्यवर्त के 10% से

अधिक हो तो किसी भी आस्ति वर्गिकरण से संबन्धित निर्यातक के लिए निगम का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। यह केवल उन्हीं निर्यातकों पर लागू होगा जिनका निर्यात पण्यवर्त 500 करोड़ रु तक अथवा उससे अधिक हो। आई टी सी (एच एस) – इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हार्मोनाइज्ड सिस्टम, जिसका अनुपालन भारतीय सीमा शुल्क तथा संबन्धित एजेंसियों द्वारा किया जाता है तथा सभी आयात/निर्यात परिचलनों के लिए अपनाया गया है के अनुसार “असंबद्ध व्यापार गतिविधियों का तात्पर्य है कि निर्यातक का अपने सामान्य वस्तु के कारोबार को छोड़ कर किसी अन्य वस्तु से संबन्धित कारोबार में प्रवेश करना। विविध वस्तु निर्यातकों को उक्त आवश्यकता के सीमा क्षेत्र से बाहर रखा जाएगा।

17. प्रतिबंधित रक्षा वाले देश: ई सी जी सी के प्रतिबंधित रक्षा वाले देशों की सूची में आने वाले देशों पर यदि निर्यातक ने उसे जारी ऋण बीमा रक्षा पॉलिसी के अधीन अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है तो इस प्रकार के देशों पर आहारित बिलों पर अग्रिम प्रदान करने के पहले ई सी जी सी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।
18. खरीददार विशेष अनुमोदन सूची (BSAL): पोतलदानोत्तर अवस्था में अग्रिम देने के पूर्व कृपया यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि जिन खरीदारों पर बिलों को आहारित किया जा रहा है वे खरीदार ई सी जी सी के खरीदार विशेष अनुमोदन सूची (BSAL) (ई सी जी सी के वेब साइट पर) तो शामिल नहीं हैं।

### III प्रीमियम और घोषणा

19. सुनिश्चित किया जाये कि कम से कम एक माह का प्रीमियम अग्रिम रूप से ई सी जी सी के पास जमा हो (यदि बैंक के केन्द्रीय कार्यालय ने इस संबंध में कोई बैंक गारंटी/वचन पत्र प्रस्तुत नहीं किया हो तो)
20. निर्धारित समय के भीतर देय प्रीमियम सहित अग्रिमों की मासिक घोषणा प्रस्तुत करें।
21. सुनिश्चित करें कि जिन खातों की ई सी जी सी को घोषणा की जानी आवश्यक है उन सभी पर प्रीमियम की अदायगी की गयी है तथा बिना ई सी जी सी के पूर्व अनुमोदन के कोई भी खाता छूटा नहीं है।
22. यदि किसी माह के दौरान किसी प्रीमियम की अदायगी आवश्यक नहीं है तो “कुछ नहीं” घोषणा प्रस्तुत की जाये।

### IV खातों की निगरानी

23. “रनिंग अकाउंट” के मामले में सुनिश्चित करें कि सभी बिल पी सी खाते के जरिये भेजे गए हैं।

24. सुनिश्चित किया जाये कि “आदेश प्रति आदेश” लेखों के मामले में वसूली के लिए भेजे गए बिलों पर प्राप्तियों का समायोजन करने के पहले कोई अतिदेय नहीं हों, बकाया अग्रिमों पर स्टॉक उपलब्ध हों, आदेश/साख पत्र वैध हों ,
25. मंजूरी शर्तों के अनुसार आवधिक स्टॉक विवरण, आदेश/साख पत्र प्रतियाँ प्राप्त करें तथा स्टॉक निरीक्षण/स्टॉक लेखा परीक्षा की जाये।
26. पी सी अग्रिम जारी करने के पहले आहरण अधिकार (ड्रॉइंग पावर) सुनिश्चित करें।
27. निधियों का वास्तविक उपयोग सुनिश्चित करें।
28. सुनिश्चित करें कि जिन निर्यातकों ने ई सी जी सी की ऋण बीमा पॉलिसी रक्षा प्राप्त की है वे पॉलिसी के अधीन खरीदारों पर साख सीमा प्राप्त करने, प्रीमियम सहित पोतलदान घोषणा को समय पर प्रस्तुत करने तथा खरीदारों से होने वाली गैर भुगतान सूचना समय पर देने जैसी शर्तों का अनुपालन कर रहे हों।
29. खरीदारों पर ऋण रिपोर्ट: पोतलदानोत्तर (PS) के अधीन विदेशी खरीदारों पर आहारित बिलों पर ऋण प्रदान करने के पहले प्रचलित ऋण सूचना एजेंसियों से विदेशी खरीदारों पर संतोषजनक (संतोषजनक साख रिपोर्ट का तात्पर्य है कि आपके बैंक के प्रबंधन/बोर्ड द्वारा प्राधिकृत बैंक के आंतरिक दिशानिर्देशों तथा प्रथाओं, विवेकपूर्ण अवलोकन के आधार पर संतोषजनक साख रिपोर्ट) हाल की साख रिपोर्ट (एक वर्ष से अधिक पुरानी न हो) साख रिपोर्ट प्राप्त करें।

नोट: यदि आवश्यक हो तो बैंक ऋण जानकारी एजेंसियों की सूची ई सी जी सी से प्राप्त कर सकते हैं।

#### V विस्तार / पोषण / पुनर्विन्यास

30. खाते से संबन्धित किसी अनियमितता के संबंध में ईसीजीसी को अविलंब सूचना देते रहें ।
31. दिशानिर्देशों के अनुसार अतिदेय अग्रिमों की देय तारीख में विस्तार के लिए ईसीजीसी का अनुमोदन प्राप्त करें।
32. एसएमए II श्रेणी के अंतर्गत खाते: यदि किसी खाते को एसएमए 2 में वर्गीकृत किया जाता है एवं/अथवा उसके लिए जेएलएफ निर्मित किया जाता है तो इसकी सूचना ईसीजीसी को दें ।
33. पोषण कार्यक्रम: यदि किसी खाते को पोषण/पुनर्विन्यास/पुनर्वसन कार्यक्रम सीडीआर/एसडीआर/5:25/एस4ए के लिए भेजा जाता है तो इसकी सूचना ईसीजीसी को दें ।

34. किसी खाते के लिए पोषण/पुनर्विन्यास/पुनर्वसन कार्यक्रम कार्यान्वित करने के पूर्व ईसीजीसी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करें।

#### IV चूक एवं दावे

35. चूक रिपोर्ट: समय सीमा के भीतर चूक रिपोर्ट करें यथा अतिदेय/बकाया को वापस मांगने की तारीख के 1 माह के भीतर अथवा देय तारीख अथवा विस्तारित देय तारीख के 4 महीनों के भीतर इसमें से जो भी पहले हो।

36. निर्धारित अवधि के भीतर दावे प्रस्तुत किए जाएँ अर्थात् चूक रिपोर्ट करने की तारीख से 6 माह के भीतर दावा फॉर्म में दर्शाये गए सभी आवश्यक दस्तावेजों के सहित दावा प्रस्तुत करें।

37. दावों पर प्रतिवेदन, यदि कोई हो, निर्णय की सूचना की तारीख से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें। केवल 2 प्रतिवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे।

38. दावों के निपटान से पूर्व अथवा पश्चात, एक बारगी निपटान (OTS)/समझौता निपटान के लिए ईसीजीसी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करें।

#### VII वसूली / ओटीएस

39. परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (ARC)/ अन्य संस्थानों को आस्ति की बिक्री के पहले ईसीजीसी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करें।

40. वसूली एवं हिस्सेदारी: दावों के निपटान से पूर्व अथवा पश्चात यदि खाते में किसी प्रकार की वसूली की जाती है तो तत्काल ईसीजीसी को इसकी सूचना दें।

41. किसी भी प्रकार की होने वसूली पर ई सी जी सी के साथ वसूली की हिस्सेदारी उसी अनुपात में की जाये जिस अनुपात में हानि की हिस्सेदारी की गयी थी।

42. किसी स्पष्टीकरण अथवा सहायता के लिए निकटतम ईसीजीसी कार्यालय से संपर्क करें।

## क्या न करें

### I मंजूरी / पूर्व भुगतान

1. बिना उचित अनुमोदन/ प्रत्यायोजन के अग्रिम का भुगतान न करें ।
2. बैंक की स्वयं की शर्तों का विचलन न हों ।

### II अधिसूचना / सीमाओं का अनुमोदन

3. सीमाओं को अधिसूचित करने से न चूकें ।
4. जहां भी आवश्यक हो सीमाओं का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने से न चूकें ।

### III प्रीमियम व घोषणा

5. मासिक घोषणा में किसी भी खाते का अपवर्जन न करें (उन खातों को छोड़ कर जिन्हें रक्षा की प्राप्ति/के नवीकरण के समय अपवर्जित करने के लिए विशेष रूप से मंजूरी प्रदान की गयी थी)

### IV खातों की निगरानी

6. बकाया बिल: किसी भी खरीदार पर भले ही पूर्व के बिलों को खरीद अथवा वसूली हेतु भेजा गया हो परंतु यदि वे बकाया हैं तो उन खरीदारों पर बिलों को भुनाया/ खरीदा/ बेचान न किया जाये।
7. यदि पूर्व के अग्रिम अतिदेय हैं तो बिना उचित कारण बताए अथवा सक्षम प्राधिकारियों के अनुमोदन के आगे और अग्रिम प्रदान न करें।
8. यदि मालिक/भागीदा/निदेशक/गारंटीकर्ता/सहयोगी संस्थान ई सी जी सी के विशेष अनुमोदन सूची में हैं तो, ई सी जी सी के पूर्व अनुमोदन के बिना अग्रिम प्रदान न करें।
9. यदि खरीदार का नाम खरीदार विशेष अनुमोदन सूची (BSAL) में शामिल है तो निगम के पूर्व अनुमोदन के बिना आदेश प्रति आदेश वाले निर्यातकों को पी सी व पी एस अग्रिम जारी न करें।
10. प्रचलित ऋण सूचना एजेंसियों से विदेशी खरीदार पर हाल के संतोषजनक ऋण राय के बिना पोतलदानोत्तर अग्रिम (PS) न प्रदान करें।

### V ओटीएस/सीडीआर

11. ईसीजीसी की सहमति के बिना ओटीएस/सीडीआर समझौते में प्रवेश न करें ।

## सेवा तंत्र

राष्ट्रीय विपणन प्रभाग  
निर्मल, 5वीं मंजिल, 241/242, बम्बे  
रेकलमेशन नरीमन पॉइंट,  
मुंबई 400021  
टेली: (022) 66590700-709  
ई-मेल: marketing@ecgc.in

परियोजना निर्यात शाखा  
दलामल हाउस, 2 री मंजिल  
जमनालाल बजाज मार्ग, नरीमन पॉइंट,  
मुंबई 400021  
टेली: (022) 6613 2221 - 30  
ई-मेल: projectexport@ecgc.in

पंजीकृत कार्यालय  
एक्स्प्रेस टावर्स, 10 वीं मंजिल, नरीमन  
पॉइंट, मुंबई 400021  
टेली: (022) 66590500/0510  
ई-मेल: webmaster@ecgc.in

बड़े निर्यातक शाखा  
दलामल हाउस, 2 री मंजिल  
जमनालाल बजाज मार्ग, नरीमन पॉइंट,  
मुंबई 400021  
टेली: (022) 6613 8800-12  
ई-मेल: leb.mumbai@ecgc.in

बैंक कारोबार शाखा  
मुंबई दलामल हाउस, 3 री मंजिल  
जमनालाल बजाज मार्ग, नरीमन पॉइंट,  
मुंबई 400021  
टेली: (022) 6613 8600-24  
ई-मेल: bbb.mumbai@ecgc.in

## क्षेत्रीय और शाखा कार्यालय

पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय  
दी मेट्रोपोलिटन, 7वीं मंजिल, प्लॉट  
नं सी 26/27, "ई" ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला  
कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू) मुंबई 400051.  
टेली: (022) 61448110/8181  
ई-मेल: wro@ecgc.in

बांद्रा ल व म नि  
दी मेट्रोपोलिटन, 7वीं मंजिल, प्लॉट  
नं सी 26/27, "ई" ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला  
कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू) मुंबई 400051.  
टेली: (022) 61448110/8181  
ई-मेल: bandra.mumbai@ecgc.in

बांद्रा (बैंक कारोबार शाखा)  
दी मेट्रोपोलिटन, 7 वीं मंजिल, प्लॉट  
नं सी 26/27, "ई" ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला  
कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू) मुंबई 400051.  
टेली: (022) 61448181/8110  
ई-मेल: bbb.bandra@ecgc.in

अंधेरी शाखा  
401, टाउन सेंटर, मितल इंडस्ट्रियल  
इस्टेट के आगे, मरोल, अंधेरी कुर्ला रोड,  
अंधेरी (पूर्व) मुंबई 400059  
टेली: (022) 28590906 / 7614  
ई-मेल: andheri.mumbai@ecgc.in

चर्चगेट शाखा  
तलमंजिल, चर्चगेट चेम्बर, विठ्ठलदास  
ठाकरसी मार्ग, प्लॉट नंबर 5,  
न्यू मरीन लाईन्स, चर्चगेट, मुंबई - 400 020  
टेली: (022) 2210 7900  
ई-मेल: churchgate.mumbai@ecgc.in

ठाणे शाखा  
कुसुमांजलि, पहली मंजिल, गोखले रोड,  
नौपाडा, ठाणे 400602  
टेली: (022) 25347807/6623/6607  
ई-मेल: thane@ecgc.in

अहमदाबाद निर्यातक शाखा  
401, हेरिटेज नगीनदास, चैंबर्स के पीछे  
गुजरात विद्यापीठ के पास आश्रम रोड,  
उस्मानपुरा अहमदाबाद - 380014  
टेली: (079) 2754 4499 / 4932 / 0054  
ई-मेल: ahmedabad@ecgc.in

अहमदाबाद (बैंक कारोबार शाखा)  
नगीनदास चैंबर्स, पहली मंजिल,  
उस्मानपुरा, आश्रम रोड,  
अहमदाबाद 380014  
टेली: (079) 2754 4499/2925/0054  
ई-मेल: bbb.ahmedabad@ecgc.in

पुणे शाखा  
वास्तु चैंबर्स, पहली मंजिल, 1202 /39  
शिरोले रोड, शिवाजी नगर पुणे 411004  
टेली: (020) 25531998/25512871  
ई-मेल: pune@ecgc.in

इंदौर शाखा  
408, 4थी मंजिल, सिटी सेंटर, 570 एम  
जी रोड, इंदौर 452001  
टेली: (0731) 2544215/2532 129  
ई-मेल: indore@ecgc.in

राजकोट शाखा  
निर्मल, 2 री मंजिल, रामकृष्ण  
नगर कॉर्नर, स्वामी विवेकानंद मार्ग,  
म्युनिसिपल कमिश्नर के बंगले के सामने,  
राजकोट-360001  
टेली: (0281) 2465162 /169/422  
ई-मेल: rajkot@ecgc.in

वडोदरा शाखा  
504, कॉन्कोर्ड, 6 थी मंजिल,  
आर सी दत्त मार्ग, अलकापुरी,  
वडोदरा 390007  
टेली: (0265) 2354728/2341615  
ई-मेल: vadodara@ecgc.in

नागपुर शाखा  
प्लॉट नं 317 (66) 2 री मंजिल, एम  
जी हाउस के पास, आर एन टैगोर मार्ग,  
सिविल लाईन्स, नागपुर 440001  
टेली: (0712) 6558503/2550504  
ई-मेल: nagpur@ecgc.in

सूरत शाखा  
503, 21 सेंचुरी बिजनेस सेंटर,  
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास, रिंग रोड,  
सूरत 395002  
टेली: (0261) 2364074  
ई-मेल: surat@ecgc.in

गिफ्ट सिटी  
आईएफएससी बीमा कार्यालय,  
गिफ्ट एस.ई.जेड, गिफ्ट सिटी,  
गांधीनगर - 382355  
टेली: (079) 27540054 / 27544499  
ई-मेल: giftcityiio@ecgc.in

पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय  
ए सी मार्केट कॉम्प्लेक्स,  
9 वीं मंजिल, 1 शेक्सपियर सरानी,  
कोलकाता 700071  
टेली: (033) 2282 2239 / 4003 3298  
ई-मेल: ero@ecgc.in

कोलकाता निर्यातक शाखा  
ए सी मार्केट कॉम्प्लेक्स, 9 वीं मंजिल, 1  
शेक्सपियर सरानी, कोलकाता 700071  
टेली: (033) 22820963/66  
ई-मेल: kolkata@ecgc.in

कोलकाता बैंक कारोबार शाखा  
ए सी मार्केट कॉम्प्लेक्स, 9 वीं मंजिल, 1  
शेक्सपियर सरानी,  
कोलकाता 700071  
टेली: (033) 22820963/66  
ई-मेल: bbb.kolkata@ecgc.in

#### वाराणसी शाखा

पी सी एफ प्लाज़ा, कमर्शियल  
कॉम्प्लेक्स, 3 री मंजिल, यूनिट नं 1,  
नादेसर वाराणसी 221 002  
टेली: (0542) 2507864/2502534  
ई-मेल: varanasi@ecgc.in

#### भुवनेश्वर शाखा

प्लॉट नं 611 3 री मंजिल,  
शहीद नगर, भुवनेश्वर 751007  
टेली: (0674) 2547772  
ई-मेल: bhubaneshwar@ecgc.in

#### रायपुर शाखा

3 री मंजिल, भवन परीसर, रींग रोड  
नं. 1, तलेबांधा, रायपुर - 492006  
टेली: (0771) 4918826 / 4918828  
ई-मेल: raipur@ecgc.in

#### गुवाहाटी उप कार्यालय

शर्मा बिल्डिंग, एच पी ब्रह्मचारी रोड,  
नेपाली मंदिर के पास,  
पी ओ रहबारी, गुवाहाटी 781005  
टेली: (0361) 2635983  
ई-मेल: guwahati@ecgc.in

#### दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय - I

स्पेन्सर टावर्स, 7 वीं मंजिल, 770-ए,  
अन्ना सालै, चेन्नई 600002  
टेली: (044) 28491026-31  
ई-मेल: sro-I@ecgc.in

#### चेन्नई निर्यातक शाखा

स्पेन्सर टावर्स, 7 वीं मंजिल,  
770-ए, अन्ना सालै,  
चेन्नई 600002  
टेली: (044) 28491026-31  
ई-मेल: chennai@ecgc.in

#### चेन्नई बैंक कारोबार शाखा

3 री मंजिल, ओवरसीज़ टावर्स,  
756 एल माउंट रोड, अन्ना सालै,  
चेन्नई 600002  
टेली: (044) 4228 4488 99  
ई-मेल: bbb.chennai@ecgc.in

#### चेन्नई दक्षिण शाखा

15, पहली मंजिल, सरयू पार्क,  
2री मेन रोड, न्यू कॉलोनी,  
क्रोपेट, चेन्नई, 600044  
टेली: (044) 22414540/22415540  
ई-मेल: chennaisouth@ecgc.in

#### पेरियामेट शाखा

लेदर सेंटर, 3 री मंजिल, 43/53  
राजा मुथईय्या रोड, पेरियामेट,  
चेन्नई 600003  
टेली: (044) 65210006/25615721  
ई-मेल: periamet.chennai@ecgc.in

#### कोयंबटूर शाखा

चेरन प्लाज़ा, 2 री मंजिल,  
1090 त्रिची रोड, कोयंबटूर 641018  
टेली: (0422) 2304775/776  
ई-मेल: coimbatore@ecgc.in

#### मदुरै शाखा

1 ली मंजिल, नं 12, कामराज नगर,  
दूसरी गली, ओ सी पी स्कूल रोड,  
चिन्ना चिक्कीकुलम, मदुरै 625002  
टेली: (0452) 2520340/2525521  
ई-मेल: madurai@ecgc.in

#### सेलम शाखा

'शांति प्लाज़ा,' 3 री मंजिल,  
1/5 वृंदावन रोड, फायर लैण्ड्स,  
पुन्नास्वामी गौडर, तिरुमना मंडपम,  
फायर लैण्ड्स, सेलम 636004  
टेली: (0427) 2442275/2330 274  
ई-मेल: salem@ecgc.in

#### तिरुपुर निर्यातक शाखा

137/2 सी जी कॉम्प्लेक्स,  
पहली मंजिल, कुमारन रोड,  
तिरुपुर 641601  
टेली: (0421) 2232998/4354  
ई-मेल: ebb.tirupur@ecgc.in

#### तिरुपुर बैंक कारोबार शाखा

137/2 सी जी कॉम्प्लेक्स,  
पहली मंजिल, कुमारन रोड,  
तिरुपुर 641601  
टेली: (0421) 2232812/813/997/3444  
ई-मेल: bbb.tirupur@ecgc.in

#### तूतीकोरिन शाखा

208/4 ए, पहली मंजिल,  
वी ई रोड, टूटिकोरिन  
टेली: (046) 12324351/52  
ई-मेल: tuticorin@ecgc.in

#### करूर शाखा

3 री मंजिल, के वी आर कॉम्प्लेक्स,  
80 फीट रोड, संगुथपुरम, करूर 639002  
टेली: (04324) 233911/231725  
ई-मेल: karur@ecgc.in

#### दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय - II

रहेजा टावर्स, 11वीं मंजिल, वेस्ट विंग 26,  
एम.जी. रोड बेंगलूर 560001,  
टेली: (080) 25596025/25585375  
ई-मेल: sro-II@ecgc.in

#### बेंगलूर निर्यातक शाखा

वायूदूत चैम्बर्स, 4 थी मंजिल, 15-16 एम  
जी रोड, बेंगलूर 560001  
टेली: (080) 25589775/1729/2128  
ई-मेल: bangalore@ecgc.in

#### बेंगलूर बैंक कारोबार शाखा

रहेजा टावर्स, 11 वीं मंजिल, ईस्ट विंग,  
26 एम जी रोड, बेंगलूर 560001  
टेली: (080) 25585375/2578/0612  
ई-मेल: bbb.bangalore@ecgc.in

#### कोची शाखा

एच डी एफ सी हाउस, 2 री मंजिल,  
राविपुरम जंक्शन, एम जी रोड,  
एर्णाकुलम, कोची 682015  
टेली: (0484) 2359437/457  
ई-मेल: kochi@ecgc.in

#### कोल्लम शाखा

सेवेन्थ डे चर्च के पास, रेसिडेंसी रोड,  
कडपककडा कोलम 691006  
टेली: 0474-2746715, 2747715,  
2748715  
ई-मेल: kollam@ecgc.in

#### हैदराबाद निर्यातक शाखा

हाका भवन, 2 री मंजिल,  
पब्लिक गार्डन्स के सामने, हैदराबाद  
टेली: (040) 23234334/2324 0833  
ई-मेल: ebb.hyderabad@ecgc.in

#### हैदराबाद बैंक कारोबार शाखा

6वीं मंजिल, एल वी भवन,  
6-3-550, मेडीनोवा के सामने,  
एर्री मंजिल, सोमाजीगुदा,  
हैदराबाद, 500082  
टेली: (040) 23296385/23296383  
ई-मेल: bbb.hyderabad@ecgc.in

#### विशाखापटनम शाखा

शंकर प्लाज़ा, पहली मंजिल,  
द्वारकानगर, शंकर मठम के सामने,  
शंकर मठम रोड,  
विशाखापटनम 530016  
टेली: (0891) 2748654/2748653  
ई-मेल: visakhapatnam@ecgc.in

#### गुन्टूर शाखा

कृष्ण प्लाज़ा, 2 री मंजिल,  
26-21-22 नगरम पालेम जी टी रोड,  
गुन्टूर- 522004  
टेली: (0863) 2337097/2337096  
ई-मेल: guntur@ecgc.in

#### मंगलौर शाखा

पहली मंजिल, एक्सेल टावर्स,  
बंट्स हॉस्टल सर्कल,  
मंगलूर 575003  
टेली: (0824) 2444288/89  
ई-मेल: mangalore@ecgc.in

### उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय

मोहनदेव, 6 वीं मंजिल,  
टोलसटोय मार्ग, कनॉट प्लेस,  
नई दिल्ली 110001  
टेली: (011) 41529912/13  
ई-मेल: nro@ecgc.in

### दिल्ली ल व म नि शाखा

एन बी सी सी प्लेस, साउथ  
टावर, 4थी मंजिल, प्रगति विहार,  
भीष्मपितामह मार्ग,  
नई दिल्ली 110003  
टेली: (011) 49284000/  
49284016-4030  
ई-मेल: metro.newdelhi@ecgc.in

### दिल्ली बड़े निर्यातक शाखा

एन बी सी सी प्लेस, साउथ टावर,  
4थी मंजिल, प्रगति विहार,  
भीष्मपितामह मार्ग, नई दिल्ली 110003  
टेली: (011) 49284011  
ई-मेल: leb.newdelhi@ecgc.in

### दिल्ली बैंक कारोबार शाखा

3री मंजिल, हंसारय बिल्डिंग, 15  
बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली 110001  
टेली: (011) 45333666  
ई-मेल: bbb.newdelhi@ecgc.in

### पश्चिमी दिल्ली शाखा

305-306, के एल जे टावर (उत्तर),  
3री मंजिल, नेताजी सुभाष प्लेस,  
पीतमपुरा, नई दिल्ली 110034  
टेली: (011) 45638141-44  
ई-मेल: west.delhi@ecgc.in

### गुडगांव शाखा

3 री मंजिल, उद्योग मीनार, वाणिज्य  
निकुज, उद्योग विहार, फेज 5  
गुदगवन 122016  
टेली: (0124) 430 0603/0405/4219660  
ई-मेल: gurgaon@ecgc.in

### लुधियाना शाखा

92 सूर्यकिरण कॉम्प्लेक्स, 2 री मंजिल,  
डी मॉल रोड, पी ओ बॉक्स नं 281,  
लुधियाना 141001  
टेली: (0161) 2441082/2403349  
ई-मेल: ludhiana@ecgc.in

### जालंधर शाखा

36 जी टी रोड, गोविंद निवास,  
2 री मंजिल, जालंधर - 144001  
टेली: (0181) 2226025/2233235  
ई-मेल: jalandhar@ecgc.in

### कानपुर शाखा

14/147 स्काय लार्क, 3 री मंजिल,  
चुन्नीगंज, पी ओ बॉक्स नं 116  
कानपुर 205001  
टेली: (0512) 2533280/2534024  
ई-मेल: kanpur@ecgc.in

### मुरादाबाद शाखा

पंडित शंकर दत्त शर्मा मार्ग,  
सिविल लाइंस, मुरादाबाद 244001  
टेली: (0591) 2435244/2415476/435395  
ई-मेल: moradabad@ecgc.in

### जयपुर शाखा

2 री मंजिल, आनंद भवन,  
संसारचंद रोड, जयपुर 302001  
टेली: (041) 2361172/2367292  
ई-मेल: jaipur@ecgc.in

### आगरा शाखा

दीपक वासन प्लाजा, 2 री मंजिल,  
17/2/4 संजय प्लेस, आगरा 282002  
टेली: (0562) 2524985/2521676  
ई-मेल: agra@ecgc.in

### पानीपत शाखा

मलिक प्लाजा, पहली मंजिल, संजय चौक  
के पास, जी टी रोड, पानीपत 132103  
टेली: (0180) 2634 933/2634937  
ई-मेल: panipat@ecgc.in

### जोधपुर शाखा

178, 'नारायणम' 2 री मंजिल, अपर  
चोपसनी रोड, बॉम्बे मोटर सर्कल के  
पास, जोधपुर 342003  
टेली: (0291) 5100531/5100534  
ई-मेल: jodhpur@ecgc.in

### चंडीगढ़ शाखा

पी एच डी चैम्बर्स हाउस, पहली मंजिल,  
सेक्टर 31-ए, चंडीगढ़ 160031  
टेली: (0172) 5003628/29  
ई-मेल: chandigarh@ecgc.in

### नोएडा शाखा

पी-3 कृष्ण अपरा प्लाजा, 3 री मंजिल,  
रूम नं 312, सेक्टर 18, नोएडा 201301  
टेली: (0120) 4249186/9182  
ई-मेल: noida@ecgc.in

### श्रीनगर शाखा

जे के एस एफ सी बिल्डिंग, 2 री  
मंजिल, दुर्गा नाग, इलेगोट,  
श्रीनगर 190001  
टेली: (0194) 2500260  
ई-मेल: srinagar@ecgc.in

### फरीदाबाद शाखा

एस सी ओ-149, 2 री मंजिल, सेक्टर  
21-सी फरीदाबाद, हरियाणा 121001  
टेली: 0129-4315115  
ई-मेल: faridabad@ecgc.in

नोट:

रत, आभूषण एवं हीरों(जीजेडी) तथा लौह-अयस्क क्षेत्र के निर्यातको को दिये गए ऋणों पर अतिरिक्त नियम एवं शर्तें लागू होंगी। बैंकों से अनुरोध है कि विशिष्ट सूचनाओं के लिए निगम की निकटतम शाखा से संपर्क करें।

## अस्वीकरण

इस पुस्तिका का प्रकाशन, बैंकों हेतु निर्यात ऋण बीमा की मुख्य विशेषताओं के विषय में जागरूकता के प्रसार के उद्देश्य से किया गया है। तथापि, सभी नियमों एवं शर्तों को समझने तथा अनुपालन के लिए ईसीआईबी दस्तावेजों को देखें। अधिक जानकारी के लिए आप निगम की किसी भी निकटतम शाखा से संपर्क कर सकते हैं।





## **ECGC Ltd.**

ECGC Ltd., wholly owned by Government of India, was set up in 1957 with the objective of promoting exports from the country by providing Credit Risk Insurance and related services for exports. Over the years it has designed different export credit risk insurance products to suit the requirements of Indian exporters and commercial banks extending export credit.

ECGC is essentially an export promotion organization, seeking to improve the competitiveness of the Indian exporters by providing them with credit insurance covers. The Corporation has introduced various export credit insurance schemes to meet the requirements of banks. The insurance covers enable the banks to extend timely and adequate export facilities to the exporters. ECGC keeps its premium rates at the optimal level.

This booklet contains various export credit risk insurance products/covers available to the banks. The Corporation may consider to issues specific customized covers to the banks to meet their individual needs.

# EXPORT CREDIT INSURANCE FOR BANKS

## 1. Individual Packing Credit (ECIB - INPC)

**Eligibility:** A bank or a financial institution providing Packing Credit facilities /Pre-shipment advances to its exporter clients for the purposes of exports as per the extant RBI guidelines can obtain Export Credit Insurance for Banks - Individual Packing Credit (ECIB-INPC) Cover for each of its exporter-clients whose account has been classified as a 'Standard' Asset and whose Credit Rating is acceptable to ECGC. It can also be availed of by those banks not holding a Whole-turnover Packing Credit Cover or for accounts that are excluded from the purview of Whole-turnover Covers.

**Period Of Cover:** It is normally issued for a period of 12 months.

**Eligible Advances:** All Packing Credit/Pre-shipment advances extended to exporter-clients for the purpose of exports as per the extant RBI guidelines.

**Protection Offered:** A percentage of the amount of loss which the bank may suffer due to non-repayment of the whole or any part of the Packing Credit advances granted to its exporter-borrowers on account of Protracted Default and/or Insolvency of such borrowers.

**Percentage Of Cover:** It is normally 66-2/3%.

**Premium:** 12 paise per Rs.100 per month is payable on the highest amount outstanding on any day during the month.

**Maximum Liability:** 66-2/3% of the Packing Credit Limit sanctioned to the account being covered.

**Processing Fee:** Rs.1000/- payable per proposal and is non-refundable.

### **Important Obligations Of The Bank:**

- (i) To remit and maintain sufficient amount of premium as deposit in advance at all times during the currency of the ECIB cover, so as to comply with IRDA regulations/ Section 64VB of Insurance Act.
- (ii) To submit, for each month, a statement of declaration of advances granted etc., in the prescribed format before the 10th of the succeeding month along with the premium due and payable.
- (iii) To seek suitable enhancement in Maximum Liability if the Packing Credit limit sanctioned is enhanced during the currency of the cover.

- (iv) To seek prior approval of the Corporation in respect of following:
  - a. For granting extension in due date of PC advances remaining outstanding beyond 360 days.
  - b. For allowing further operations in the account where the asset classification has slipped to 'Sub-Standard' or 'NPA'.
  - c. Before implementing any restructuring / nursing rehabilitation programme.
  - d. Before implementing any OTS/Compromise settlement.
  - e. Before effecting any sale of the financial assets to ARCs.
- (v) To submit Report of Default within 4 months from due date or extended due date of advances or within one month of calling up of advances from the exporter, whichever is earlier.
- (vi) To file the claim within 6 months from the date the Report of Default is required to be filed.
- (vii) To issue Recall notice to the exporter borrower recalling the whole of the debts due and outstanding, before lodgment of claim.
- (viii) To take necessary recovery action including institution of legal or other proceedings against the exporter-borrower.
- (ix) Upon recovery, to share the recovery with ECGC in the same proportion in which the loss is borne between ECGC and the bank.

**Highlights:** Bank can take the cover selectively.

## **2. Individual Post Shipment (ECIB - INPS)**

**Eligibility:** A bank or a financial institution providing Post-Shipment facilities to its exporter clients for the purposes of exports can obtain Export Credit Insurance for Banks Individual Post-Shipment (ECIB-INPS) Cover for each of its exporter-clients whose account has been classified as 'Standard' asset and whose Credit Rating is acceptable to ECGC. It can be availed of by those banks not holding a Whole-turnover Post - Shipment Cover or for accounts that are excluded from the purview of Whole-turnover Covers.

**Period Of Cover:** It is normally issued for a period of 12 months.

**Eligible Advances:** All Post-Shipment advances extended to exporter-clients for the purposes of exports by way of Purchase, Negotiation or Discounting of export bills or advances granted against bills sent on Collection, as per the extant RBI guidelines.

**Protection Offered:** A percentage of the amount of loss which the bank may suffer due

to non-repayment of the whole or any part of the Post-Shipment credits or advances granted to its exporter-borrowers on account of Protracted Default and/or Insolvency of such borrowers.

### **Percentage Of Cover, Premium, Maximum Liability:**

Please see the table here under for details:

<b>Sr. No.</b>	<b>Criteria</b>	<b>Percentage of cover</b>	<b>Premium in paise per Rs.100 per month payable on the highest amount outstanding on any day during the month.</b>	<b>Maximum Liability as a percentage of the Post-Shipment limit sanctioned</b>
1.	For an exporter holding a Comprehensive Risk Policy of ECGC on a Whole-turnover basis without any exclusion.	<ul style="list-style-type: none"> <li>75% for non-associate buyers of the exporter</li> <li>60% for associate buyers provided the shipment is covered for Comprehensive Risk under the Policy.</li> </ul>	6 paise	75%
2.	For an exporter holding a Comprehensive Risk Policy of ECGC on a Whole-Turnover basis but opted for only L/C exclusions under the Policy Cover.	<ul style="list-style-type: none"> <li>75% for non-associate buyers and for such transactions that are on Non-L/C bill.</li> <li>60% for transactions on L/C bills.</li> <li>60% for associate buyers provided the shipment is covered for Comprehensive Risk under the Policy.</li> </ul>	9 paise	75%
3.	For an exporter holding a Comprehensive Risk Policy of ECGC on a Whole-Turnover basis with specific exclusions permitted under the Policy Cover.	<ul style="list-style-type: none"> <li>75% for non-associate buyers of the exporter</li> <li>60% for associate buyers provided the shipment is covered for Comprehensive Risk under the Policy.</li> </ul>	9 paise	75%
4.	For an exporter not holding a Comprehensive Risk Policy of ECGC on a Whole-turnover basis.	<ul style="list-style-type: none"> <li>60% for non-associate buyers of the exporter</li> <li>No cover for associate buyers.</li> </ul>	9 paise if all advances are against L/C, otherwise 13 paise.	60%

**Processing Fee:** Rs.1000/- payable per proposal and is non-refundable.

### **Important Obligations Of The Bank:**

- To remit and maintain sufficient amount of premium as deposit in advance at all times during the currency of the ECIB cover, so as to comply with IRDA regulations/ Section 64VB of Insurance Act.
- To submit, for each month, a statement of declaration of advances granted etc., in the

prescribed format before 10th of the succeeding month along with the premium due and payable.

- (iii) To seek suitable enhancement in Maximum Liability if the Post-Shipment limit sanctioned is enhanced during the currency of the cover.
- (iv) To verify the Buyer Specific Approval List (BSAL) of ECGC from ECGC's website and ensure that the buyers on whom bills are drawn do not figure in the BSAL prior to granting advances at post-shipment stage.
- (v) It is mandatory to take suitable safeguards like obtaining satisfactory credit reports (not more than one year old) on overseas buyers from reputed credit information agencies and satisfy itself that the payments will be received in the normal course based on its assessment of the buyers, prior to extending credit against bills drawn on overseas buyers.
- (vi) To seek prior approval of the Corporation in respect of following:
  - a. For granting extension in due date of Post-Shipment advances remaining outstanding beyond 180 days (for Status-holders it is 360 days).
  - b. For allowing further operations in the account where the asset classification has slipped to 'Sub-Standard' or 'NPA'.
  - c. Before implementing any restructuring / nursing / rehabilitation programme.
  - d. Before implementing any OTS/Compromise settlement.
  - e. Before effecting any sale of the financial assets to ARCs.
  - f. Before purchasing / discounting bills drawn on buyers in Restricted Cover Countries, if exporter has not obtained the same under policy issued to them. However it is suggested that wherever possible, the bank may obtain ECGC's prior approval before extending finance on such buyers who are in Restricted Cover Countries at the pre-shipment stage itself.
- (vii) To submit Report of Default within 4 months from due date or extended due date of advances or within one month of calling up of advances from the exporter, whichever is earlier.
- (viii) To file the claim within 6 months from the date the Report of Default is required to be filed.
- (ix) To issue Recall notice to the exporter borrower to recall the whole of the debts due and outstanding, before lodgment of claim.
- (x) To take necessary recovery action including institution of legal or other proceedings against the exporter-borrower.
- (xi) Upon recovery, to share the recovery with ECGC in the same proportion in which the loss is borne between ECGC and the bank.

(xii) To ensure that an exporter holding a Policy Cover has complied with all the requirements of the Policy like obtention of appropriate Credit Limits on overseas buyers (Drawee-wise Limit), premium payment, submission of shipment declaration etc., so that the benefit of a higher percentage of cover and lower premium rate, due to the exporter being a Policyholder is available to the bank under the ECIB cover.

**Highlights:** Bank can take the cover selectively.

### **3. Surety Cover (ECIB-SC)**

**Eligibility:** A bank or a financial institution providing non-fund based credit facilities to its exporter clients for the purposes of export as per the extant RBI guidelines can obtain the ECIB (SC) Cover in respect of those exporter-clients whose account has been classified as a 'Standard' Assets and whose Credit Rating is acceptable to ECGC with marks/score of 50% and above. The bank should have sanctioned certain working capital limit facilities for exports in favour of the exporter-client to be eligible for ECIB (SC) cover.

**Period Of Cover:** Generally, as per the period of the bank guarantee but not exceeding a period of 12 months. However, the bank may seek extension in validity of ECIB (SC) Cover, on completion of 12 months, wherever necessary.

**Eligible Bank Guarantees:** The following types of guarantees issued by banks are eligible for cover subject to compliance with extant RBI guidelines relating to Bank guarantee:-

- (a) Bid Bond Guarantee: Guarantees issued by banks on behalf of its exporter clients who desires to bid for a foreign tender.
- (b) Due Performance Guarantee: If the exporter is awarded a contract by participating in a global tender, a bank guarantee for due performance of the contract may be required to be furnished favouring the foreign buyer/client which the bank may furnish on behalf of its exporter clients.
- (c) Advance Payment Guarantee: Guarantees issued by banks on behalf of its exporter clients in favour of a foreign buyer against which the buyer shall make advance payments to the exporter for execution of the export contract/order.
- (d) Letters of Credit opened by banks on behalf of its exporter clients for import of raw materials in respect of export transactions.

**Protection Offered:** Against losses that the bank may suffer on account of non-repayment of the debt to the bank due to protracted default or insolvency of the exporter-client.

**Percentage Of Cover:** The percentage of cover shall be a maximum of 75%.

**Premium:** The premium rate varies between 10 paise to 12 paise per Rs. 100 per month and is payable on the value of the Insured debt depending on the Credit Rating marks/score of the exporter client.

**Maximum Liability:** 75% of the guarantee value or 75% of the value of cover sought, whichever is lower.

**Processing Fee:** Rs.1000/- payable per proposal and is non-refundable.

#### **Important Obligations Of The Bank:**

- (i) To remit full premium in advance.
- (ii) Seek extension in validity of the ECIB (SC) cover if the bank guarantee issued is exceeding the validity period of the cover prior to expiry of the cover.
- (iii) A Report of Default has to be notified by the bank within 4 months from the expiry of the ECIB (SC) cover or within 30 days from the date on which the exporter is called upon to pay the debt to the bank, whichever is earlier.
- (iv) To file the claim within 6 months from the date on which the Report of Default is required to be filed.
- (v) To issue Recall notice to the exporter borrower to recall the whole of the debts due and outstanding, before lodgment of claim.
- (vi) To take necessary recovery action including institution of legal or other proceedings against the exporter-borrower.
- (vii) Upon recovery, to share the recovery with ECGC in the same proportion in which the loss is borne between ECGC and the bank.
- (viii) To obtain prior approval of the Corporation, before implementing any OTS / Compromise settlement.
- (ix) To obtain prior approval of the Corporation before effecting any sale of financial assets to ARCs.

**Highlights:** Bank can take the cover selectively.

#### **4. Whole Turnover Packing Credit (ECIB - WTPC)**

**Eligibility:** A bank or a financial institution providing Packing Credit facilities / Pre-shipment advances to its exporter clients for the purposes of exports as per the extant RBI guidelines can obtain Export Credit Insurance for Banks – Whole Turnover Packing Credit (ECIB-WTPC) Cover for all such accounts. Generally, a minimum of 50 accounts with annual assured premium of Rs.50 Lakhs is required to be offered by the bank to be eligible for the Whole-turnover cover.

**Period Of Cover:** It is normally issued for a period of 12 months.

**Eligible Advances:** All Packing Credit/Pre-shipment advances extended to exporter-clients for the purposes of exports as per the extant RBI guidelines

**Protection Offered:** A percentage of the amount of loss which the bank may suffer due to non-payment of the whole or any part of the Packing Credit advances granted to its exporter borrowers on account of Protracted Default and / or Insolvency of such borrowers.

**Percentage Of Cover:** The percentage of cover is based on the claim-premium ratio and the 'Set Limit' fixed for the bank. The total amount of premium remitted by the bank in the previous year will be treated as the Set Limit. The percentage of cover will range between 50 – 75. For Micro, Small & Medium Enterprises (MSME/SSI) the percentage of cover is 90%. The applicable percentage of the amount of loss is specified in the schedule to the ECIB cover. In respect of a fresh cover, the Set Limit would be worked out by applying a notional premium for the previous year based on the average outstanding indicated in the proposal.

**Premium:** For a fresh cover it is 9 paise per Rs. 100/- per month. For renewals, it varies from 6 paise to 13.5 paise per Rs. 100/- per month depending on the claim-premium ratio of the bank. Option to pay premium based on the credit rating of the borrower is available under customized covers. Premium is payable on the average daily product to be arrived at for the month for all the accounts covered under ECIB-WTPC.

**Maximum Liability:** It is the maximum aggregate liability of the Corporation as specified in the Schedule, under the ECIB-WTPC Cover.

**Processing Fee:** Rs.10,000/- payable along with the proposal and is non-refundable.

**Discretionary Limit:** It is the limit specified in the Schedule to the ECIB - WTPC Cover upto which the bank is not required to obtain prior approval from the Corporation for covering the export Packing Credit limits sanctioned to any of the exporters classified as 'New' / 'Taken Over' Accounts or where the account is yet to be classified under the extant Asset Classification norms of the Reserve Bank of India (RBI).

**Important Obligations Of The Bank:**

- (i) To remit and maintain sufficient amount of premium as deposit in advance at all times during the currency of the ECIB cover, so as to comply with IRDA regulations/ Section 64 VB of Insurance Act.



- (ii) To submit, for each month, a statement of declaration of advances granted etc., in the prescribed format before the end of the succeeding month along with the premium due and payable.
- (iii) To ensure that no account (other than the excluded categories) is omitted in the statement of monthly declarations of advances granted.
- (iv) To verify whether the exporter and/or its Proprietor / Partners / Directors /Guarantors /Sister Concerns etc. are in ECGC's Specific Approval List (SAL) prior to disbursement of advances. If the names of exporting units and/or connected persons are appearing in SAL, the bank should seek prior written approval of the Corporation for insurance under the ECIB cover. ECGC's website [www.ecgc.in](http://www.ecgc.in) may be referred to access the SAL data.
- (v) To notify, sanction of any limit to a 'New' exporter to the nearest office of ECGC, within 30 days from the date of sanction in the prescribed form, if the limit sanctioned is within the Discretionary Limit specified under the ECIB Cover.
- (vi) To notify, any fresh Sanction / Enhancement / Reduction / Cancellation in Limits or change in the Management / Status of the account, to the nearest office of ECGC within 30 days from the date of sanction or such change in limits, in the prescribed form, provided the asset classification is 'Standard'.
- (vii) To seek prior approval of the Corporation in respect of following:
  - a. Limits sanctioned beyond Discretionary Limits for 'New' / 'Taken Over' accounts;
  - b. Limits sanctioned/renewed/enhanced, where the asset classification is other than 'Standard';
  - c. Wherever combined (PC+CC) limits are sanctioned, if the component of PC limits (out of CC) exceeds Rs.25 crores or 25% of the combined limit (CC+PC);
  - d. Where the individual exporter limit / exporter group limit (PC and PS limit) is equal to or more than Rs. 200 crores irrespective of the Asset Classification of the account;
  - e. Where the exporter has diversified into unrelated business activities, wherein the share of the unrelated business activity is equal to or more than 10% of the Export Turnover (applicable only to exporters excluding Merchant exporters whose Export Turnover is equal to or more than Rs. 500 crores);
  - f. Irrespective of the asset classification of the account, where per buyer limit / exposure exceeds Rs.100 crores and shall also include cases where interchangeability of the limits of PC and PS facilities are permitted by the bank;
  - g. For granting extension in due date of PC advances remaining outstanding beyond 360 days.
  - h. For allowing further operations in the account where the asset classification has slipped to 'Sub-Standard' or 'NPA'.

- i. Before implementing any restructuring / nursing rehabilitation programme.
  - j. Before implementing any OTS/Compromise settlement.
  - k. Before effecting any sale of the financial assets to ARCs.
- (viii) To submit Report of Default within 4 months from due date or extended due date of advances or within one month of calling up of advances from the exporter, whichever is earlier.
- (ix) To file the claim within 6 months from the date the Report of Default is required to be filed.
- (x) To issue Recall notice to the exporter borrower recalling the whole of the debts due and outstanding, before lodgment of claim.
- (xi) To take necessary recovery action including institution of legal or other proceedings against the exporter-borrower.
- (xii) Upon recovery, to share the recovery with ECGC in the same proportion in which the loss is borne between ECGC and the bank.

**Highlights:** Banks can exercise the option to exclude MSME/SSI, Public Sector Undertakings and Off-shore Banking Units (OBU) from the purview of the ECIB-WTPC Cover. Banks can submit a single proposal for all accounts to be covered. Premium is payable on the average daily product arrived at for each month. Declaration is to be submitted by the end of the succeeding month. The ECIB-WTPC Cover provides higher percentage of cover and lower premium rate as compared to individual ECIB Covers.

## **5. Wholturnover Post Shipment (ECIB - WTPS)**

**Eligibility:** A bank or a financial institution providing Post-Shipment facilities to its exporter clients for the purposes of exports can obtain Export Credit Insurance for Banks Whole Turnover Post-Shipment (ECIB-WTPS) Cover for all such accounts. Generally, a minimum of 50 accounts with annual assured premium of Rs.50 Lakhs is required to be offered by the bank to be eligible for the Whole turnover cover.

**Period Of Cover:** It is normally issued for a period of 12 months.

**Eligible Advances:** All Post-Shipment advances extended to exporter-clients for the purposes of exports by way of Purchase, Negotiation or Discounting of export bills or advances granted against bills sent on Collection, as per the extant RBI guidelines.

**Protection Offered:** A percentage of the amount of loss which the bank may suffer due to non-repayment of the whole or any part of the Post-Shipment credits or advances granted to its exporter-borrowers on account of Protracted Default and / or Insolvency of such borrowers.

**Percentage Of Cover:** It varies from 50% to 95% depending upon the (i) claim-premium ratio of the bank (ii) the ‘Set Limit’ fixed for the bank and (iii) whether the exporter is holding an appropriate Policy cover of ECGC. The total amount of premium remitted by the bank in the previous year will be treated as the Set Limit. In respect of bills drawn on Associates of Policyholders, the coverage will be 60% and for non-Policyholders, it will be 50%. The applicable percentage of the amount of loss is specified in the schedule to the ECIB cover.

**Premium:** For a fresh cover it is 9 paise per Rs.100/- per month. For renewals, it varies from 5 paise to 13.5 paise per Rs.100 per month depending upon (i) whether advances against L/C bills are included/excluded from purview of cover and (ii) the claim-premium ratio of the bank. Option to pay premium based on the credit rating of the borrower may be considered under customized covers. Premium is payable on the average daily product to be arrived at for the month for all the accounts covered under ECIB-WTPS.

**Maximum Liability:** It is the maximum aggregate liability of the Corporation as specified in the Schedule, under the ECIB-WTPS Cover.

**Processing Fee:** Rs.10,000/- payable along with the proposal and is non-refundable.

**Discretionary Limit:** It is the limit specified in the Schedule to the ECIB-WTPS Cover upto which the bank is not required to obtain prior approval from the Corporation for covering the export Post Shipment limits sanctioned to any of the exporters classified as ‘New’/ ‘Taken Over’ accounts or where the account is yet to be classified under the extant Asset Classification norms of the Reserve Bank of India (RBI).

#### **Important Obligations Of The Bank:**

- (i) To remit and maintain sufficient amount of premium as deposit in advance at all times during the currency of the ECIB cover, so as to comply with IRDA regulations/ Section 64VB of Insurance Act.
- (ii) To submit, for each month, a statement of declaration of advances granted including details of bills sent on Collection basis and bills that have been crystallised in the prescribed format before the end of the succeeding month along with the premium due and payable
- (iii) To ensure that no account (other than the excluded categories) is omitted in the statement of monthly declarations of advances granted.
- (iv) To verify whether the exporter and/or its Proprietor / Partners / Directors /Guarantors / Sister Concerns etc. are in ECGC’s Specific Approval List (SAL) prior to disbursement of advances. If the names of exporting units and/or connected persons are appearing in SAL, the bank should seek prior written approval of the Corporation

for insurance under the ECIB cover. ECGC's website [www.ecgc.in](http://www.ecgc.in) may be referred to access the SAL data.

- (v) To verify the Buyer Specific Approval List (BSAL) of ECGC from ECGC's website and ensure that the buyers on whom bills are drawn do not figure in the BSAL prior to granting advances at post-shipment stage.
- (vi) It is mandatory to take suitable safeguards like obtaining satisfactory credit reports (not more than one year old) on overseas buyers from reputed credit information agencies and satisfy itself that the payments will be received in the normal course based on its assessment of the buyers, prior to extending credit against bills drawn on overseas buyers.
- (vii) To notify, sanction of any limit to a 'New' exporter to the nearest office of ECGC, within 30 days from the date of sanction in the prescribed form, if the limit sanctioned is within the Discretionary Limit specified under the ECIB Cover.
- (viii) To notify, any fresh Sanction Enhancement / Reduction / Cancellation in Limits or change in the Management / Status of the account, to the nearest office of ECGC within 30 days from the date of sanction or such change in limits, in the prescribed form, provided the asset classification is 'Standard'.
- (ix) To seek prior approval of the Corporation in respect of following:
  - a. Limits sanctioned beyond Discretionary Limits for 'New' / 'Taken Over' accounts;
  - b. Limits sanctioned/renewed/enhanced, where the asset classification is other than 'Standard';
  - c. Wherever combined (PC+CC) limits are sanctioned, if the component of PC limits (out of CC) exceeds Rs. 25 crores or 25% of the combined limit (CC+PC);
  - d. Where the individual exporter limit / exporter group limit (PC and PS limit) is equal to or more than Rs. 200 crores irrespective of the Asset Classification of the account;
  - e. Where the exporter has diversified into unrelated business activities, wherein the share of the unrelated business activity is equal to or more than 10% of the Export Turnover (applicable only to exporters excluding Merchant exporters whose Export Turnover is equal to or more than Rs.500 crores);
  - f. Irrespective of the asset classification of the account, where per buyer limit / exposure exceeds Rs.100 crores and shall also include cases where interchangeability of the limits of PC and PS facilities are permitted by the bank;
  - g. For granting extension in due date of Post-Shipment advances remaining outstanding beyond 180 days (for Status-holders it is 360 days).
  - h. For allowing further operations in the account where the asset classification has slipped to 'Sub-Standard' or 'NPA'.

- i. Before implementing any restructuring / nursing rehabilitation programme.
- j. Before implementing any OTS/Compromise settlement.
- k. Before effecting any sale of the financial assets to ARCs.
- l. Before purchasing / discounting bills drawn on buyers in Restricted Cover Countries, if exporter has not obtained the same under policy issued to them. However it is suggested that wherever possible, the bank may obtain ECGC's prior approval before extending finance on such buyers who are in Restricted Cover Countries at the pre-shipment stage itself.
- (x) To submit Report of Default within 4 months from due date or extended due date of advances or within one month of calling up of advances from the exporter, whichever is earlier.
- (xi) To file the claim within 6 months from the date the Report of Default is required to be filed.
- (xii) To issue Recall notice to the exporter borrower to recall the whole of the debts due and outstanding, before lodgment of claim.
- (xiii) To take necessary recovery action including institution of legal or other proceedings against the exporter borrower.
- (xiv) Upon recovery, to share the recovery with ECGC in the same proportion in which the loss is borne between ECGC and the bank.
- (xv) To ensure that an exporter holding a Policy Cover has complied with all the requirements of the Policy like obtention of appropriate Credit Limits on overseas buyers (Drawee-wise Limit), premium payment, submission of shipment declaration etc., so that the benefit of a higher percentage of cover due to exporter being a Policyholder is available to the bank under the ECIB cover.

**Highlights:** Banks can exercise the option to exclude MSME/SSI, Public Sector Undertakings, Off-shore Banking Units (OBU), exports to Associates and advances against L/C's from the purview of the ECIB-WTPS Cover. Banks can submit a single proposal for all accounts to be covered. Premium is payable on the average daily product arrived at for each month. Declaration is to be submitted by the end of the succeeding month. The ECIB-WTPS Cover provides higher percentage of cover and lower premium rate as compared to individual ECIB Covers.

**ECIB**

**Do's & Don'ts**

# EXPORT CREDIT INSURANCE FOR BANKS

## DO's

### **I Sanction / Pre-disbursal Terms**

01. Comply with all pre disbursal conditions stipulated in the sanction before disbursement of advances.
02. Comply with the terms and conditions stipulated in the sanction letter.
03. Obtain necessary approvals from competent authority of your bank for any deviations from / dilutions in banks' sanction terms.
04. Sanction and intimate to ECGC specific pre-shipment / post shipment limits not to be combined with domestic limits (Cash Credit) (even if combined in sanction, banks to intimate ECGC of the exact PC limits). Banks may approve combined limits only in exceptional cases, where there is a dire need for such kind of fungibility, for operational convenience. Where banks do not indicate the exact PC limit, obtain prior approval of ECGC in case the component of PC limits (out of CC) exceeds Rs. 25 crores or 25% of the combined limit (CC+PC) whichever is lower, in respect of exporters dealing in any commodity.
05. Exposure Limit: Ensure that total limits under pre-shipment and post-shipment approved by consortium/ multiple banks on any single exporter/ exporter group for which ECGC cover is sought does not exceed Rs.1200 crs as ECGC cover will not be available beyond this limit w.e.f. 06.10.2015.

### **II Notification / Approval of limits**

06. Limit Notification: For total PC and PS limits of the bank under sole banking or of all banks under consortium/ multiple banking arrangements for exporter /exporter group, less than Rs.200 crores, notify sanction/change in limits to ECGC in prescribed format within 30 days of sanction. Submit sanction letter along with limit notification forms where the total limit under PC/PS is Rs.10.00 crores or more.
07. Discretionary Limit: If the account is 'New' to the bank and the sanctioned limit exceeds the Discretionary Limit (DL) fixed for the Bank, obtain approval of ECGC within 60 days of sanction
08. Per Buyer Limit / Exposure: Obtain the approval of the Corporation, irrespective of the Asset Classification of the account, where per buyer limit /exposure exceeds Rs. 100 crores per buyer (Rs.50 crores each under PC and PS). (The limit of Rs. 50 crores is 100% interchangeable).
09. Specific Approval List (SAL): Ensure that the exporter and/or its partners/ directors / guarantors / sister concerns etc. are not in ECGC's Specific Approval List (SAL)/ RBI Caution List prior to disbursement of advances.

10. Obtain prior approval of ECGC if the exporter and/or its partners/directors/guarantors/sister concerns are in SAL before granting the advances.
11. Obtain approval of ECGC for the limits sanctioned to an exporter in case the account is classified as Sub-Standard asset or Doubtful or Loss.
12. Gem, Jewellery & Diamond (GJD): Obtain ECIB-Individual covers for fresh/enhancement in limits sanctioned on or after 1.3.2014 to exporters dealing in Gem, Jewellery & Diamond (GJD) as cover is not available under ECIB-WTPC / WTPS for such accounts. However, limits sanctioned prior to 1.3.2014 may be covered under WTPC/WTPS.
13. Ensure to obtain collateral security / additional collateral security of at least 20% for the fresh/incremental limits sanctioned on or after 1.7.2013 for exporters dealing in GJD.
14. Approval of Limit more than Rs.200 crores: Obtain prior approval of ECGC where the sum total of PC and PS limits of the bank under sole banking or of all banks under consortium/ multiple banking arrangement for individual exporter / exporter group by way of fresh sanction/ enhancement/ renewal is equal to or more than Rs. 200 crores irrespective of the Asset Classification.
15. Notify any change in asset classification already covered under ECIB.
16. Diversification into unrelated business activities: Obtain prior approval of the Corporation, irrespective of the Asset Classification, where the exporter has diversified into unrelated business activities, wherein the share of the unrelated business activity is equal to or more than 10% of the Export Turnover. This shall be applicable only for exporters whose Export Turnover is equal to or more than Rs. 500 crores. (The term “unrelated business activities” is clarified as a shift from the exporter’s normal / traditional business activity (in terms of commodities), as defined by the ITC(HS) - Indian Trade Classification based on Harmonised System, which is followed by Indian Customs and Allied Agencies and adopted for all Import / Export Operations. Merchant Exporters would be kept out of the purview of the above requirement.
17. Restricted Countries: Obtain ECGC approval before granting post-shipment advances against bills drawn on buyers in restricted cover countries of ECGC, unless the exporter has obtained such approval under the Credit Insurance Policy issued to them.
18. Buyer’s Specific Approval List (BSAL): Verify the Buyer Specific Approval List (BSAL) of ECGC (electronically through ECGC website) and ensure that the buyers on whom bills are drawn do not figure in the BSAL, prior to granting advances at post shipment stage.



### **III Premium and Declaration**

19. Ensure remittance of advance premium of at least one month (if Bank's Central Office has not submitted a Bank Guarantee/Undertaking to this effect).
20. Submit monthly declaration of advances along with due premium, within the prescribed time.
21. Ensure that premium is paid on all accounts which are required to be declared to ECGC, and that NO account is omitted without the specific approval of ECGC.
22. Submit 'Nil' declarations for any account, if no premium is due for any month.

### **IV Monitoring of Accounts**

23. Ensure to route all Bills through PC account in case of "Running Account".
24. Ensure availability of stocks for the outstanding advances, validity of orders/LCs and that there are no overdues before adjusting the proceeds against bills on collection, in case of "order to order" accounting.
25. Obtain periodical stock statements, order/LC copies and conduct stock inspections / stock audits, as per sanction terms.
26. Ensure Drawing Power at the time of release of PC.
27. Ensure end use of funds.
28. Ensure that exporters, who have obtained ECGC Credit insurance Policy covers, comply with policy conditions with regard to obtention of credit limits on buyers, timely submission of shipment declaration with due premium and timely reporting of non payments from buyers.
29. Credit Report on buyers: Obtain satisfactory, (Satisfactory Credit Report means a Credit Report to be Satisfactory by your Bank, based on Bank's internal guidelines and practices, in observation of due care, prudence and due diligence, authorised by bank's Management/Board.) recent credit reports (not more than one year old) on overseas buyers from reputed Credit Information Agencies, prior to extending credit against bills drawn on overseas buyers, under Post-Shipment (PS).

***Note:** Banks, if they so desire, may obtain the list of Credit Information Agencies available with ECGC.*

### **V Extension / Nursing / Restructuring**

30. Keep ECGC informed of any irregularity in the account without any delay.
31. Seek approval of ECGC for extension of due date of overdue advances as per guidelines.

32. Accounts under SMA II Category: Intimate to ECGC if any account is classified SMA2 and / or JLF is formed.
33. Nursing Programme: Intimate to ECGC if any account is referred for Nursing restructuring/ rehabilitation/ CDR/SDR/ 5:25/S4A.
34. Obtain prior approval of ECGC before implementing any Nursing / Re-structuring / Rehabilitation program for any account.

#### **IV Default & Claim**

35. Report of Default: Submit Report of default in time i.e. within 1 month from the date of Recall of the overdue/ outstanding or within 4 months from the due date or extended due date whichever is earlier.
36. Submit claims within the prescribed period i.e. within 6 months from the date of Report of Default along with all the necessary documents mentioned in the claim form.
37. Submit representation on claims, if any, within 90 days from the date of communication of the decision. Only 2 representations can be entertained.
38. Obtain ECGC's prior approval for One Time Settlement (OTS)/ Compromise Settlement whether before or after settlement of claim.

#### **VII Recovery / OTS**

39. Obtain ECGC's prior approval for sale of Assets to Asset Reconstruction/Companies (ARCs) / other institutions.
40. Recovery and Sharing: Inform ECGC forthwith if any recovery is made in the account either before or after settlement of claim.
41. Share the recoveries with ECGC in the same ratio in which the loss was borne immediately on effecting any recovery.
42. Consult the nearest ECGC office for any clarification or assistance.